

## विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृ-ट क्रमांक
I	प्राक्कथन	02
II	मुख्य अंश	03
III	भाग 1 : प्रस्तावना	04
IV	भाग 2 : लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ/विसंगतियां	05-08
V	भाग 3 : को-नागारों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियाँ एवं अन्य अनियमिततायें	09-16
VI	परिशि-ट	17-61

## प्राक्कथन

को-नागार राज्य सरकार के राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ शासकीय लेखा प्रणाली में महत्वपूर्ण एवं मुख्य भूमिका निभाते हैं। को-नागार अपने दायित्व का समुचित तरीके से निर्वहन कर सकें इसके लिए राज्य सरकार ने संहिताएँ, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की है। को-नागारों एवं उप-को-नागारों की कार्य प्रणाली एवं विनिर्दिष्ट नियमों एवं प्रक्रियाओं के पालन करने में पाई गई कमियाँ, जो नियमों एवं प्रक्रियाओं के विचलन तथा वित्तीय प्रबंधन में कमी को बढ़ावा देती हैं, इस पर मेरे कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित किया जाता है।

लेखों की गुणवत्ता प्रदान करना हमारा पहला प्रयास रहा है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा को-नागारों को कम्प्युटरीकृत किया जाना महत्वपूर्ण रहा। कम्प्युटरीकृत प्रणाली सुविधापूर्ण तरीके से तीव्रतापूर्वक राज्य सरकार के लेखों की जानकारी प्रदान करती है।

झारखण्ड राज्य स्थित को-नागारों एवं उप-को-नागारों की कार्य प्रणाली पर आधारित वर्ष 2012-13 की यह वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तीन भागों में तैयार किया गया है:-

- भाग एक - को-नागारों की संरचना एवं संगठन
- भाग दो - को-नागारों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कमियों तथा अन्य अनियमितताएँ
- भाग तीन - को-नागारों एवं उप-को-नागारों के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में पाई गई त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ

इस प्रतिवेदन के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना है जिससे विनिर्दिष्ट नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन हो सके जिससे किसी भी प्रकार से नियमों के विचलन, गबन, घोटालों अथवा वित्तीय हानि पर तत्काल रोक लगायी जा सके।

मेरा विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन को-नागारों एवं उप-को-नागारों में अनियमितताओं को दूर करने एवं नियमानुकूल प्रशासनिक कार्रवाई करने में सहायता प्रदान करेगा।

( मनोज सहाय )  
महालेखाकार (ले० एवं हक०)  
झारखण्ड, राँची

## मुख्य अंश

- 1. राज्य गठन से 2012-2013 तक ₹ 5483.00 करोड़ के कुल 24666 विस्तृत बिपत्र, महालेखाकार कार्यालय में अप्राप्त रहे ।  
[कंडिका 2.1.1]
- 2. योजना शीर्ष के अन्तर्गत आकस्मिक विपत्र द्वारा ₹ 830.06 करोड़ रुपये की निकासी की गई ।  
[कंडिका 2.1.2]
- 3. वर्ष 2012-2013 के मार्च महीने के अंतिम तीन कार्य दिवसों में आकस्मिक विपत्र द्वारा ₹ 210.99 करोड़ की राशि की निकासी कर, बैंक लेखों में रखा गया ।  
[कंडिका 2.1.3]
- 4. विभिन्न को-नागारों/उप-को-नागारों से कुल ₹ 19,27,328/- की पेंशन/परिवारिक पेंशन का अनियमित/अतिरिक्त भुगतान किया गया ।  
[कंडिका 3.3.4]
- 5. राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा मकान किराया भत्ता/परिवहन भत्ता/वेतन मद में कुल ₹ 2,30,943/- की अतिरिक्त निकासी की गई ।  
[कंडिका 3.4.(2)]
- 6. राजपत्रित पदाधिकारियों के यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/एल0टी0सी0 अग्रिम की कुल राशि ₹8,24,131/- का समायोजन नहीं किया गया ।  
[कंडिका 3.5]
- 7. को-नागारों/उप-को-नागारों द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना ।  
[कंडिका 3.6]
- 8. उच्चतर अधिकारी द्वारा को-नागारों/उप-को-नागारों का सावधिक निरीक्षण नहीं किया जाना ।  
[कंडिका 3.7]

## खण्ड - I

### प्रस्तावना

**परिचय:-** को-नागार किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग होता है तथा वे सरकार के राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। को-नागार वह माध्यम है जो राज्य के विभिन्न संसाधनों का समावेश, आहरण एवं लेखा रखता है। प्रत्येक को-नागार एवं उप-को-नागार क्रमशः को-नागार पदाधिकारी एवं उप-को-नागार पदाधिकारी के प्रभार में रहते हैं।

वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन को-नागार एवं उप-को-नागार अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। वित्त विभाग के सचिव, राज्य के को-नागारों के विभागाध्यक्ष होते हैं एवं पूर्ण कार्यप्रणाली इनके अधीन कार्य करती हैं।

#### **1.1 संरचना/संगठन**

झारखण्ड राज्य में 26 को-नागार कार्यालय एवं 6 उप-को-नागार कार्यालय कार्यरत हैं (परिशि-ट संख्या -1)। सभी को-नागार बैंकिंग हैं। वर्ष 2012-13 में सभी 26 जिला को-नागारों एवं 6 उप-को-नागारों का महालेखाकार कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया (परिशि-ट संख्या - 2)। को-नागारों/उप-को-नागारों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति (परिशि-ट संख्या - 3) में दर्शाया गया है।

**अनुशांसा: -** को-नागार एवं उप-को-नागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्य बल से काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है।

## खण्ड - II

### लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ/विसंगतियाँ

#### 2.1 लेखों को तैयार करने में

##### ➤ 2.1.1 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए0सी0बिल) का अस्तित्व

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से सेवा शीर्ष से राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत हैं एवं ऐसे समग्र मामले में विस्तृत आकस्मिक विपत्र, व्यय के सब व्हाउचरों सहित (अंतिम व्यय के लिए प्रमाणक)उनके द्वारा इस प्रकार उपस्थापित किया जाना चाहिए कि जिस माह से आकस्मिक विपत्र संबंधित है उसके अगले माह की 25वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में अवश्य पहुँच जाय। अभी तक वर्ष 2000-01 से 2012-13 तक ₹ 5483.00 करोड़ के कुल 24666 विस्तृत विपत्र (डी0सी0 विपत्र) महालेखाकार कार्यालय को अप्राप्त रहे । आकस्मिक विपत्र के द्वारा राशि की निकासी संवितरण को दर्शाता है, न कि वास्तविक व्यय को । असमायोजित आकस्मिक विपत्र का वर्ष-वार विवरण नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	आहरित आकस्मिक विपत्र		प्रस्तुत विस्तृत विपत्र		शे-1 विस्तृत विपत्र	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2010-11 तक	52489	11943	28773	7515	23716	4428
2011-12	1059	1600	538	1139	521	461
2012-13	547	917	118	323	429	594
कुल	54095	14460	29429	8977	24666	5483

### ➤ 2.1.2 योजना शीर्ष के अंतर्गत आकस्मिक विपत्र द्वारा राशि की निकासी

झारखण्ड को-नागर संहिता के नियम 290 में प्रयुक्त पद आकस्मिक प्रभार (कंटीजेंट चार्ज) अथवा आकस्मिक व्यय (कंटीजेंसिज) से अभिप्रेत है तथा उसमें शामिल है सभी अनु-गिक एवं अन्य व्यय जो किसी कार्यालय का कार्यालय के रूप में प्रबंधन करने में उपगत होता है या व्यय वर्गीकरण के विहित नियमों में कार्य, स्टॉक, उपकरण एवं संयंत्र आदि से भिन्न व्यय शीर्ष में किसी विभाग के तकनीकी कार्यों के लिए किए जाते हैं।

योजना शीर्ष के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित ₹ 830.06 करोड़ को वैसे विपत्र फार्म में निकाला गया, जो 'आकस्मिक व्यय' की राशि की निकासी के लिए आवश्यक नहीं था। योजना शीर्ष के अन्तर्गत व्यय मुख्यतः योजना से संबंधित होता है जिसके लिए विस्तृत वाउचर/उपयोगिता प्रमाणपत्र इत्यादि को जमा किये जाने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2012-13 में योजना शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि ₹402.03 करोड़ (48.43%) की निकासी आकस्मिक विपत्र द्वारा केवल मार्च 2013 के दौरान की गई।

### ➤ 2.1.3 निधि को सरकारी लेखे से बाहर बैंक लेखों में रखना

झारखण्ड को-नागर संहिता भाग -1 के नियम 300 एवं इसके नीचे की टिप्पणी में की गई प्रावधानों के अनुसार को-नागर से राशि की निकासी उसी समय की जानी चाहिये जब उसके व्यय की तत्काल आवश्यकता हो। व्यय की प्रत्याशा में या आवंटित निधि को उपभोग करने के विचार से या आवंटित निधि को व्ययगत होने से बचाव के लिए को-नागर से राशि निकाल कर नगद रूप में बैंक में, बैंक ड्राफ्ट के रूप में एवं डाकघर में जमा रखना अनुमान्य नहीं है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में सक्षम पदाधिकारी के आदेश से राशि की निकासी अग्रिम के रूप में की जाती है तो इस तरह की निकासी की गई राशि की शेष राशि वित्तिय वर्ष के समापन के पूर्व को-नागर में, आगामी विपत्र में कम निकासी से या चालान द्वारा अवश्य ही जमा कर देना चाहिये।

वर्ष 2013 के मार्च महीने के अंतिम तीन कार्य दिवसों में ₹ 210.99 करोड़ की राशि, जिसकी निकासी आकस्मिक विपत्र तथा पूर्णतः प्रमाणित (फुल्ली वाउचर्ड)

आकस्मिक व्यय से की गई, को बैंक लेखों में जमा रखा गया, जो कि उपरोक्त वर्णित नियम के विरुद्ध है ।

आकस्मिक विपत्रों तथा पुर्णतः प्रमाणित (फुल्ली वाउचर्ड) आकस्मिक व्यय द्वारा की गई निकासी के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र की प्राप्ति वित्तिय वर्न 2012-13 तक नहीं हुई है । ₹ 1858.61 करोड़ के 'अनुदानों' की निकासी भी, वर्न 2013 के मार्च महीने के अंतिम तीन कार्य दिवसों में की गई तथा इसे बैंक लेखों में जमा रखा गया ।

## **2.2 रेलवे/डाक एवं दूरसंचार पेंशन के बकाया दावे**

को-नागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दुमका एवं साहेबगंज को-नागार द्वारा बकाये पेंशन दावों के प्रमाणक (वाउचर) संबंधित विभाग के अधिकारी को नहीं अथवा अधुरा भेजे जाने के कारण काफी लम्बे समय से डाक एवं दूरसंचार विभाग से पेंशन दावों की कुल राशि ₹ 77,200/. की प्राप्ति नहीं हो पायी है । इसकी विस्तृत विवरण **परिशि-ट- 4** में दर्शाया गया है ।

## **2.3 को-नागारों से मासिक लेखा प्राप्ति में विलंब**

राज्य सरकार के लेखे, जिन्हें महालेखाकार कार्यालय में संकलन किया जाता है एवं जिसके लिए सभी को-नागार अधिकारी निर्धारित समयावधि में महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड को उनके को-नागार के मासिक लेखा प्रे-ण हेतु उत्तरदायी है ।

मासिक लेखा में एक तारीख से माह के अंतिम दिन तक के लेन देनों का समावेश होता है, जिसे अगले माह की पाँच तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये एवं मार्च माह के लेखे को निश्चित रूप से अप्रैल माह की 12 तारीख तक जमा किया जाना चाहिये । मासिक लेखा ससमय महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त नही होने के निम्न परिणाम होते हैं :-

- (1) लेखों के संकलन में विलंब
- (2) मासिक लोक खातों से लेखों का अपवर्जन
- (3) संकलित लेखों में अधूरी जानकारी
- (4) राज्य सरकार के दावों को प्राथमिकता देने में विलम्ब
- (5) प्रारंभिक तिथि में मौद्रिक निपटान पर असर
- (6) योजनागत व्यय के प्रमाणीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव और

(7) आर0बी0आई0 के किताबों/वहियों में दिखाये गये रोकड़ शेन का समाधान ।

समीक्षा में पाया गया है कि वित्तीय वर्न 2012-13 के दौरान प्राप्त कुल 384 मासिक लेखों में से 163 लेखे विलम्ब से प्राप्त हुये है । को-नागारों द्वारा मासिक लेखा प्रे-नण में औसतन 2.18 दिनों का विलम्ब पाया गया है ।

**अनुशंसा:** को-नागार अधिकारियों द्वारा मासिक लेखों के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित समय का पालन करने का प्रयास किया जाना चाहिये ।

## **2.4 स्थानीय निधि खातों के अन्तशे-गों का मिलान न किया जाना**

झारखण्ड को-नागार संहिता भाग एक के नियम 579 के अनुसार गत वर्न के लिए को-नों में जमा शे-नों का सत्यापन को-नागार पदाधिकारी एवं स्थानीय निधि के प्रशासक द्वारा किया जाना चाहिये एवं सत्यापन के बाद उन्हें महालेखाकार को यथाशीघ्र भेजने के लिए, सभी स्थानीय निधियों के प्रशासक प्रत्येक वर्न 30 अप्रैल तक को-नागार पदाधिकारी को उनकी स्वीकृति का प्रमाणपत्र भेजेंगे ।

वित्तीय वर्न 2012-13 में को-नागार निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि 32 को-नागारों में कुल 95 स्थानीय निधि से संबंधित खातों का संधारण किया जा रहा है परन्तु उपरोक्त वर्णित नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । विस्तृत विवरण **परिशि-ट - 5** संख्या में दर्शाया गया है ।

## **2.5 प्रोद्योगिकी लेखा परीक्षा का को-नागारों में लेखा का संकलन एवं महालेखाकार को लेखा भेजने संबंधी टिप्पणियाँ**

झारखण्ड राज्य के समस्त को-नागारों एवं उप-को-नागारों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है ।

## **2.6 को-नागारों में दैनिक लेखों की प्रवि-टि की जाँच**

इससे संबंधित नहीं है क्योकि झारखण्ड राज्य के समस्त को-नागारों एवं उप-को-नागारों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है ।

## **2.7 रिजर्व बैंक जमा पंजी**

झारखण्ड राज्य में समस्त को-नागारों एवं उप-को-नागारों के कम्प्यूटरीकरण के पश्चात पंजियों का अनुक्षण/रख-रखाव इलेक्ट्रोनिक रूप से किया जाता है ।



## भाग - 3

### वर्ष 2012-13 में को-गाारों एवं उप-को-गाारों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियाँ एवं

#### अन्य अनियमिततायें

### 3.1 वर्ष 2012-13 के दौरान निरीक्षण किये गये को-गाारों एवं उप-को-गाारों का विवरण

झारखण्ड को-गाार संहिता भाग एक के नियम 77 के तहत महालेखाकार द्वारा को-गाारों/उप-को-गाारों का निरीक्षण लेखा परीक्षा नियमावली के अनुसार किया जाता है। समीक्षा वर्ष 2012-13 के दौरान किये गये को-गाारों/उप-को-गाारों के निरीक्षण का विवरण **परिशि-ट-2** में दर्शाया गया है।

### 3.2 वर्ष 2012-13 में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति

समीक्षा वर्ष 2012-13 के दौरान को-गाार से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की समीक्षा के उपरान्त प्रतिवेदनों की 796 कंडिका एवं 1203 उप-कंडिका को विलोपित किया गया। विस्तृत विवरण **परिशि-ट-7** में दर्शाया गया है। को-गाार/उप-को-गाार कार्यालयों द्वारा प्राप्त अनुपालन अपूर्ण अथवा उठाये गये आपत्तियों पर यथोचित कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण 237 निरीक्षण प्रतिवेदनों की कुल 821 कंडिका एवं 1313 उप-कंडिका लंबित/यथावत बने हुए हैं। विस्तृत विवरण **परिशि-ट-8** में दर्शाया गया है। साथ ही वर्ष 2012-13 के दौरान निरीक्षण किये गये 32 को-गाारों/उप-को-गाारों के निरीक्षण प्रतिवेदनों में 441 कंडिका एवं 687 उप-कंडिकाओं को निर्गत किया जा चुका है। विस्तृत विवरण **परिशि-ट-6** में दर्शाया गया है।

**अनुशांसा:** निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियों/विसंगतियों के संदर्भ में को-गाार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिये। इसके लिए को-गाार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठायी गयी आपत्तियों के ससमय निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली विकसित की जानी चाहिये जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके। झारखण्ड सरकार द्वारा एक को-गाार निदेशालय के भी गठन पर विचार करना चाहिए जो उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण के परिणाम की निगरानी एक नोडल एजेन्सी की तरह करे। को-गाार निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का निराकरण/निपटारा को-गाारों में कार्य प्रणाली का उन्नयन सुनिश्चित करता है।

### 3.3 पेंशन भुगतान से संबंधित प्रकरण

#### ➤ 3.3.1 पेंशन संबंधित अभिलेख

झारखण्ड को-नागार संहिता भाग एक के नियम 334 से 389 में को-नागार अधिकारियों को पेंशन भुगतान एवं उनके अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में पर्याप्त दिशानिर्देश दिये गये हैं। कुछ को-नागारों द्वारा जैसे पेंशनर, जिनके पेंशन की निकासी को-नागार से होती है, के मामले में जीवन प्रमाण पत्र, गैर रोजगार प्रमाण पत्र एवं महिला पेंशनधारकों का जिनका पेंशन विवाह एवं पुनर्विवाह के कारण समाप्त किया जाता है, के द्वारा इस आशय का वार्षिकी/अर्ध-वार्षिकी घो-नणा पत्र, संबंधित दस्तावेज का रखरखाव एवं अभिलेख का संधारण नहीं किया जा रहा है। विस्तृत विवरण परिशि-ट -9 में दर्शाया गया है।

#### ➤ 3.3.2 पेंशनधारी की मृत्यु के उपरान्त देय बकायों का भुगतान उसके उत्तराधिकारियों को करने के पश्चात पेंशन भुगतान आदेशों को वापस नहीं किया जाना

झारखण्ड को-नागार संहिता भाग एक के नियम 388 (3) के अनुसार पेंशनधारी की मृत्यु के उपरान्त पेंशन भुगतान आदेशों की दोनों प्रतियाँ (पेंशनर की प्रति एवं संवितरण की प्रति) पेंशन बकाये राशि के भुगतान उनके उत्तराधिकारियों को करने के पश्चात, महालेखाकार कार्यालय को पेंशनधारी की मृत्यु की तिथि के सूचना के साथ वापस किया जाना चाहिये। समीक्षा बर्न 2012-13 के को-नागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ को-नागारों/उप-को-नागारों द्वारा उक्त दिशा- निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विस्तृत विवरण परिशि-ट-10 में दर्शाया गया है।

#### ➤ 3.3.3 छः माह से पेंशन आहरण नहीं करने वाले पेंशनधारियों की सूची नहीं भेजा जाना

झारखण्ड को-नागार संहिता भाग एक के नियम 389 के अनुसार प्रत्येक को-नागार पदाधिकारी हर छः माह पर महालेखाकार को पेंशन निकासी न करने के मामलों में एक विवरण पेश करेगा। विवरण दो भागों में तैयार किया जाएगा : पहले भाग में (सेवा पेंशन के लिए) तीन बर्न या (राजनीतिक पेंशन के लिए) छः बर्न से पेंशन निकासी न करने वाले सभी पेंशन-भोगियों का पेंशन के वर्ग का उल्लेख करते हुए नाम होगा, दूसरे भाग में

पहले भाग में उल्लिखित पेंशन-भोगियों से भिन्न उन पेंशन-भोगियों का नाम होगा जिन्होंने एक वर्ग से पेंशन की निकासी नहीं की है। यदि ज्ञात हो तो निकासी न करने के कारणों का उल्लेख प्रत्येक नाम के सामने किया जाएगा।

जिन पेंशन-भोगियों के नाम उपर्युक्त विवरण के पहले भाग में शामिल हों, उन सभी के तथा जिन मृत पेंशन-भोगियों के बकाया पेंशन का दावा उनकी मृत्यु के एक वर्ग के अंदर नहीं किया गया हो, उनके भी पेंशन भुगतान आदेश के व्ययनकर्ता वाले हिस्से विवरण के साथ महालेखाकार को वापस भेज दिए जाएंगे। को-नागार पदाधिकारी/बैंक प्रबंधन हर महीने पेंशन भुगतान आदेश की फाइल जांच करके ऐसे मामलों को खोज निकालेगा।

समीक्षा वर्ग 2012-13 के को-नागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ को-नागारों/उप-को-नागारों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का सही अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विस्तृत विवरण परिशि-ट-11 में दर्शाया गया है।

➤ **3.3.4 कुल ₹19,27,328/- (उन्नीस लाख सत्ताईस हजार तीन सौ अठ्ठाईस) मात्र का अधिक पेंशन का भुगतान**

झारखण्ड को-नागार संहिता भाग एक के नियम 334 से 389 में को-नागार अधिकारियों को पेंशन भुगतान एवं उनके अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में पर्याप्त दिशा निर्देश दिये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों का सही अनुपालन नहीं करने की वजह से 2012-13 के को-नागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि झारखण्ड राज्य के विभिन्न को-नागारों/उप-को-नागारों से कुल ₹19,27,328/- (उन्नीस लाख सत्ताईस हजार तीन सौ अठ्ठाईस रुपये) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया। विस्तृत ब्यौरा परिशि-ट-12 में दर्शाया गया है।

**अनुशांसा:** निरीक्षण प्रतिवेदन में पेंशन संबंधित उल्लेखित कमियों/विसंगतियों के संदर्भ में को-नागार पदाधिकारी द्वारा तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिये एवं नियमानुकूल सुधारात्मक कदम उठाते हुए इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय को दिया जाना चाहिए।

### 3.4 राजपत्रित पदाधिकारियों की वेतन पंजी

- (1) झारखण्ड को-नागार संहिता भाग एक के नियम 187 के अनुसार प्रत्येक को-नागार में एक पंजी (रजिस्टर) टी0सी0 फार्म 14 के साथ खोला जाना चाहिए जिसमें सरकारी राजपत्रित अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते/अवकाश वेतन की निकासी से संबंधित सभी प्रासंगिक विवरण दर्शाया जाना चाहिए। महालेखाकार से समय-समय पर प्राप्त वेतन पर्ची का विवरण या अवकाश वेतन प्रमाण पत्र और अन्य को-नागार से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाण में दर्शाये गये वसुलियों का विस्तृत विवरण वेतन पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए। नमूना हस्ताक्षर (विधिवत राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित) भी प्राप्त कर वेतन पंजी में लगाया जाना चाहिये। उक्त प्रावधानों का अनुपालन कुछ को-नागारों/उप-को-नागारों द्वारा नहीं किया जा रहा है। विस्तृत विवरण **परिशि-ट-13** में दर्शाया गया है।
- (2) को-नागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि महालेखाकार के वेतन पर्ची के बिना कुछ राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा मकान किराया भत्ता/परिवहन भत्ता/वेतन मद में कुल ₹2,30,943/- (दो लाख तीस हजार नौ सौ तैतालिस रुपये) का अधिक आहरण किया गया। विस्तृत विवरण **परिशि-ट-14** में दर्शाया गया है।
- (3) राजपत्रित पदाधिकारियों के सामान्य भवि-य निधि में कम कटौती - नियमानुसार सामान्य भवि-य निधि में न्यूनतम राशि की कटौती उनके वेतन + ग्रेड वेतन का 6% की न्यूनतम कटौती की जानी चाहिए। को-नागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई राजपत्रित पदाधिकारियों के सामान्य भवि-य निधि की न्यूनतम से कम कटौती की जा रही है जिसका विवरण **परिशि-ट-15** में दर्शाया गया है।
- (4) लाईसेंस शुल्क/नगर पालिका कर की वसूली न किया जाना - को-नागार निरीक्षण के दौरान लाईसेंस शुल्क (मकान किराया) की वसूली न किये जाने से संबंधित कुछ मामलों प्रकाश में आए हैं। ऐसे मामलों में यह ज्ञात हुआ है कि राजपत्रित पदाधिकारियों को सरकारी आवास का आवंटन किया गया है परन्तु उनके मासिक वेतन से लाईसेंस शुल्क की कटौती नहीं की जा रही है। जिसका विवरण **परिशि-ट-16** में दर्शाया गया है।
- (5) आयकर की कटौती समान मासिक किस्तों में न किया जाना - को-नागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई को-नागारों/उप-को-नागारों में राजपत्रित पदाधिकारियों

के वेतन से आयकर की कटौती समान मासिक किस्तों में नहीं की जा रही है जो कि आयकर अधिनियम के विरुद्ध है। जिसका विवरण **परिशि-ट-17** में दर्शाया गया है।

### **3.5 यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/एल0टी0सी0 अग्रिम की राशि का समायोजन नहीं किया जाना**

को-नागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/एल0टी0सी0 अग्रिम कुल राशि ₹8,24,131/- (आठ लाख चौबिस हजार एक सौ इकत्तीस रुपये) मात्र का समायोजन को-नागार निरीक्षण की अवधि तक नहीं किया गया है। जिसका विस्तृत विवरण **परिशि-ट-18** में दर्शाया गया है।

### **3.6 को-नागार में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाना**

को-नागार कार्यालय द्वारा प्रतिपादित लेखा जिसके आधार पर वित्तीय लेखा तैयार किये जाते हैं, वे प्राथमिक रूप से प्रारंभिक तथा सहायक लेखों की तैयारी एवं इसकी शुद्धता के साथ साथ ऐसे लेखों और लेन-देन से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार वित्तीय लेन-देन की नियमितता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेवार होते हैं।

यह विशेष रूप से आवश्यक है कि को-नागार का प्रबंधन एवं कार्यकलाप को सही ढंग से अपनाई जाय ताकि लेखों की सुरक्षा एवं गलत विवरणी पर उचित नियंत्रण रखा जा सके तथा आवश्यक वित्तीय अनुशासन का पालन हो सके।

झारखण्ड राज्य के 26 को-नागारों एवं 06 उप-को-नागारों द्वारा महालेखाकार कार्यालय को लेखा प्रेषित किया जाता है। को-नागार निरीक्षण के क्रम में कई कमियाँ/विसंगतियाँ पाई गईं।

कुछ को-नागारों में जमा एवं नगद का समय समय पर जाँच, महालेखाकार को व्ययगत जमा की सूची भेजने एवं राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन पंजी का अनुक्षण से संबंधित त्रुटियाँ पाई गईं हैं जिसका विवरण को-नागारवार विवरण **परिशि-ट -19** में दर्शाया गया है।

### **3.7 उच्चतर अधिकारी द्वारा को-नागार का सावधिक निरीक्षण नहीं किया जाना**

झारखण्ड को-नागार संहिता भाग एक के नियम 73 के अनुसार सभी समाहर्ता अपने को-नागार का छः माह में कम से कम एक बार एवं उप-को-नागार के मामले में वर्- में एक बार व्यवस्थित निरीक्षण अवश्य करें।

को-नागार के काम-काज, सामान्य प्रशासन एवं उचित नियंत्रण के लिए आयुक्त, सरकार के प्रति तुरंत जिम्मेदार है। उन्हें कम से कम हर तिमाही में को-नागार में जमा राशि के संबंध में निरीक्षण कर सतु-ट हो लेना चाहिये। इसी प्रकार मुद्रांक, प्रतिभूतियाँ, ड्राफ्ट एवं चेक प्रपत्र के लिए वार्षिक निरीक्षण किया जाना चाहिये। उपायुक्त को कम से कम एक बार हर तिमाही में निरीक्षण करना चाहिये कि जमा पंजी में सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है और प्रत्येक लेन-देन के ससमय हस्ताक्षर लिये जा रहे हैं। साथ ही उनकी जिम्मेदारी है कि महालेखाकार को भेजा जाने वाला लेखा सही और निर्धारित अवधि के अन्दर प्रेषित किया जाये।

को-नागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई को-नागारों/उप-को-नागारों का निरीक्षण उच्चतर अधिकारी द्वारा काफी लम्बे समय से नहीं किया गया है जिसका पूर्ण विवरण **परिशि-ट-20** में दर्शाया गया है।

**अनुशंसा** : उच्चतर अधिकारी द्वारा को-नागार की सावधिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

### **3.8 को-नागारों में सुरक्षा**

- (1) झारखण्ड को-नागार संहिता भाग एक के नियम 121 के अनुसार को-नागार अधिकारी को कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लोक निर्माण विभाग से प्रत्येक वर्ष बज्र गृह से संबंधित सुदृढ़ता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई को-नागारों द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जिसकी सूची **परिशि-ट-21** में दर्शायी गई है।
- (2) झारखण्ड को-नागार संहिता भाग एक के नियम 121(IV) के अनुसार को-नागार के बज्र गृह में पदस्थापित पुलिस बल की तैनाती के संबंध में एक आदेश बज्र गृह के बाहर एक निश्चित स्थान में सूचित की जानी चाहिये। को-नागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई को-नागारों में पुलिस बल की तैनाती से संबंधित आदेश उपलब्ध नहीं है। जिसकी सूची **परिशि-ट-21** में दर्शायी गई है।
- (3) को-नागार के बज्र गृह के उपयोग हेतु लगाये गये अग्निशमन यंत्र को यथा स्थान पर स्थापित एवं कार्यशील स्थिति में होना चाहिये। परन्तु वर्ष 2012-13 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि को-नागार के बज्र गृह के उपयोग हेतु लगाये गये अग्निशमन यंत्र कार्यशील स्थिति में नहीं है। जिसका विवरण **परिशि-ट-21** में दर्शायी गई है।

### 3.9 मुद्रांक लेखों का संधारण

➤ **3.9.1 न्यायिक/गैर-न्यायिक मुद्रांको का आवश्यकता से अधिक भंडारण किया जाना**

को-नागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ को-नागारों द्वारा उपयोग से अधिक मुद्रांको का भंडारण किया गया है जिसका विवरण परिशि-ट-22 में दर्शाया गया है।

➤ **3.9.2 अप्रचलित/क्षतिग्रस्त मुद्रांकों का बज्र गृह में अनावश्यक भण्डारण किया जाना**

को-नागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ को-नागारों द्वारा अनावश्यक रूप से अप्रचलित/क्षतिग्रस्त मुद्रांकों का बज्र गृह में भण्डारण कर रखा गया है एवं इसके निस्तारण के संबंध में को-नागार पदाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है। जिसका विवरण परिशि-ट-23 में दर्शाया गया है।

➤ **3.9.3 जमीनदारी क्षतिपूर्ति बंधपत्र का निस्तारण नहीं किया जाना**

को-नागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ को-नागारों में अनावश्यक रूप से जमीनदारी क्षतिपूर्ति बंधपत्र को बज्र गृह में भण्डारण कर रखा गया है जो उपयोग में नहीं हैं, इसके निस्तारण के संबंध में भी को-नागार पदाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है जिसका विवरण परिशि-ट-24 में दर्शाया गया है।

### 3.10 सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा संबंधी विवरण

➤ **3.10.1 झारखण्ड राज्य में 26 जिला को-नागार एवं 06 उप-को-नागार हैं एवं सभी को-नागार/उप-को-नागार एनआईसी के तकनीकी नियंत्रण, राँची के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची में स्थित वेब आधारित केन्द्रीय सर्वर से जुड़े हुए हैं। सभी को-नागारों एवं उप-को-नागारों के लिए “कुबेर” के नाम से एक यूनिफॉर्म पैकेज प्रयोग में लाया गया है।**

- **3.10.2** डाटाबेस में सभी सुधार सुनिश्चित करने हेतु को-नागार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई मानक तंत्र विकसित नहीं किया गया है । हालाँकि डाटाबेस में सभी सुधार डिजाइन द्वारा सम्मिलित किया गया है, जैसे केन्द्रीय डाटाबेस सर्वर एवं क्लाईन्ट टेक्नोलॉजी संचालित होता है ।
- **3.10.3** डी0टी0ओ0 डाटाबेस एवं एस0टी0ओ0 डाटाबेस में कोई भिन्नता नहीं है । मास्टर डाटाबेस के माध्यम से खातों/लेखों की मदों की पु-टि की जाती है।
- **3.10.4** कोई मानक बैकअप नीति विकसित नहीं की गयी है ।
- **3.10.5** डाटा/सिस्टम की रक्षा के लिए कोई तर्क-संगत/भौतिक सुरक्षा कार्यान्वित नहीं किया गया है ।
- **3.10.6** विभागीय आँकड़ों/डाटा के साथ को-नागार आँकड़ें/डाटा के गैर समाधान पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर में कोई इनविल्ट प्रावधान नहीं किये गये है।
- **3.10.7** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कोड को अद्यतन नहीं किया जाना:- को-नागार निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि डाटा बेस में नये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का कोड आवंटित करने की व्यवस्था है परन्तु वैसे अधिकारियों का कोड जो उस को-नागार में अपेक्षित नहीं है को अद्यतन करने की व्यवस्था नहीं है । जिसके कारण अनावश्यक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कोड उक्त डाटाबेस में प्रदर्शित होते रहते हैं ।
- **3.10.8** सॉफ्टवेयर में वेतन बिल के संदर्भ में युनिक बिल कोड की व्यवस्था है परन्तु यह व्यवस्था अन्य बिलों जैसे टी ए बिल, अनुदान बिल एवं आकस्मिक बिल के संबंध में नहीं हैं ।
- **3.10.9** कुछ को-नागारों में प्रोथोगिक स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा है अथवा स्टॉक रजिस्टर में कम्प्युटर से संबंधित अन्य चीजों का जैसे सर्वर, प्रिंटर का पूर्ण विवरण दर्ज नहीं किया जा रहा है ।

....



**परिशि-ट -1**  
(कंडिका 1.1 संरचना एवं संगठन)  
**झारखण्ड राज्य स्थित को-गाारों/उप-को-गाारों की सूची**

क्रम संख्या	को-गाार/उप-को-गाार का नाम	जिला मुख्यालय	प्रमंडल का नाम	क्रम संख्या	को-गाार के अन्तर्गत कार्यरत उप-को-गाार
1	दुमका	दुमका	संथालपरगना प्रमंडल, दुमका		-
2	देवघर	देवघर	-वही-	1	मधुपुर
3	साहेबगंज	साहेबगंज	-वही-	2	राजमहल
4	गोडडा	गोडडा	-वही-		
5	पाकुड़	पाकुड़	-वही-	3	महेशपुर
6	जामताड़ा	जामताड़ा	-वही-		
7	हजारीबाग	हजारीबाग	उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग		
8	चतरा	चतरा	-वही-		
9	गिरिडीह	गिरिडीह	-वही-		
10	धनबाद	धनबाद	-वही-		
11	बोकारो	बोकारो	-वही-	4	तेनुघाट
12	कोडरमा	कोडरमा	-वही-		
13	रामगढ़	रामगढ़	-वही-		
14	राँची	राँची	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची		
15	प्रोजेक्ट भवन	राँची	-वही-		
16	लोहरदगा	लोहरदगा	-वही-		
17	गुमला	गुमला	-वही-		
18	डोरन्डा	राँची	-वही-		
19	सिमडेगा	सिमडेगा	-वही-		
20	पश्चिम सिंहभुम	चाईबासा	कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा	5	चक्रधरपुर
21	पूर्वी सिंहभुम	जमशेदपुर	-वही-	6	घाटशिला
22	सरायकेला	सरायकेला	-वही-		
23	खुँटी	खुँटी	-वही-		
24	पलामू	डालटेनगंज	पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर		
25	गढ़वा	गढ़वा	-वही-		
26	लातेहार	लातेहार	-वही-		

## परिशि-ट - 2

(कंडिका 1.1 संरचना एवं संगठन)

(निरीक्षण किये गये को-गागरों एवं उप को-गागरों का विवरण)

क्रम संख्या	को-गागर/उप-को-गागर का नाम	निरीक्षण की तिथि	
		कब से	कब तक
1	प्रोजेक्ट भवन, राँची	14/05/2012	21/05/2012
2	चतरा	22/05/2012	29/05/2012
3	राँची	07/06/2012	14/06/2012
4	गुमला	15/06/2012	23/06/2012
5	लोहरदगा	25/06/2012	03/07/2012
6	लातेहार	04/07/2012	11/07/2012
7	गढ़वा	12/07/2012	19/07/2012
8	पलामू	20/07/2012	27/07/2012
9	डोरन्डा	28/07/2012	04/08/2012
10	खुँटी	06/08/2012	14/08/2012
11	सिमडेगा	16/08/2012	24/08/2012
12	चक्रधरपुर	25/08/2012	28/08/2012
13	चाईबासा	29/08/2012	05/09/2012
14	सरायकेला	20/09/2012	28/09/2012
15	जमशेदपुर	29/09/2012	08/10/2012
16	घाटशिला	09/10/2012	11/10/2012
17	रामगढ़	12/10/2012	20/10/2012
18	बोकारो	05/11/2012	12/11/2012
19	तेनुघाट	14/11/2012	17/11/2012
20	साहेबगंज	21/11/2012	27/11/2012
21	राजमहल	29/11/2012	01/12/2012
22	पाकुड़	10/12/2012	17/12/2012
23	महेशपुर	18/12/2012	20/12/2012
24	धनबाद	12/01/2013	22/01/2013
25	हजारीबाग	12/01/2013	22/01/2013
26	मधुपुर	24/01/2013	29/01/2013
27	कोडरमा	24/01/2013	02/02/2013
28	गिरिडीह	04/02/2013	09/02/2013
29	जामताड़ा	18/02/2013	26/02/2013
30	देवघर	27/02/2013	06/03/2013
31	दुमका	07/03/2013	14/03/2013
32	गोड्डा	15/03/2013	22/03/2013

**परिशि-ट - 3**  
(कंडिका 1.1 संरचना एवं संगठन)

क्रम संख्या	को-गागर/उप-को-गागर का नाम	कर्मचारी की स्थिति	
		स्वीकृत बल	कार्यरत बल
1	बोकारो	13	08
2	चाईबासा	35	13
3	चक्रधरपुर	05	05
4	चतरा	12	07
5	देवघर	15	10
6	धनबाद	33	12
7	डोरन्डा	21	09
8	दुमका	21	12
9	गढ़वा	15	10
10	घाटशिला	02	02
11	गिरिडीह	18	13
12	गोड्डा	17	12
13	गुमला	25	10
14	हजारीबाग	35	14
15	जमशेदपुर	26	06
16	जामताड़ा	11	06
17	खुँटी	08	04
18	कोडरमा	11	05
19	लातेहार	09	06
20	लोहरदगा	12	04
21	मधुपुर	03	03
22	महेशपुर	05	03
23	पाकुड़	10	07
24	पलामू	23	08
25	प्रोजेक्ट भवन, राँची	18	08
26	राजमहल	06	04
27	रामगढ़	03	03
28	राँची	73	25
29	साहेबगंज	11	06
30	सरायकेला	11	05
31	सिमडेगा	11	08
32	तेनुघाट	08	06

**परिशि-ट -4**

( कंडिका 2.2 रेलवे/डाक एवं दूरसंचार पेंशन के बकाया दावे )  
रेलवे/डाक एवं दूरसंचार पेंशन के बकाया दावे की सूची

क्रमांक	कोषिगार का नाम	महीना	राशि (रु में )
1.	दुमका	11/2009	17,480
		12/2009	13,110
		01/2010	21,850
		02/2010	13,110
2,	साहेबगंज	03/2011	11,650
कुल योग			<b>77,200</b>

## परिशि-ट -5

( कंडिका 2.4 स्थानीय निधि खाता )

झारखण्ड राज्य स्थित स्थानीय निधि खातों की कोशिकावार सूची

क्रमांक	को-गागर/उप-को-गागर का नाम	स्थानीय निधि खातों का नाम	शेराशि (31.03.2013) (₹ में)
1.	राँची	i. आर० आर० डी० ए० राँची	13,95,42,439=25
		ii. नगर पालिका निगम, राँची	58,96,13,153=38
		iii. जिला परिषद, राँची	70,61,35,283=59
		iv. नगर पंचायत, बुण्डु	1,13,07,321=00
		v. रिम्स, राँची	34,20,22,365=00
		vi. पॉल्ट्री फार्म, होटवार, राँची	70,00,167=00
		vii. ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण, राँची	1,31,94,45,607=00
		viii. झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, लिमिटेड, राँची	1,62,35,80,005=20
		ix. झारखण्ड एरिया लिफ्ट एरिगेशन कॉरपोरेशन, राँची	3,31,58,181=00
2.	रामगढ़	i. जिला परिषद, रामगढ़	<b>अनुपलब्ध</b>
3.	कोडरमा	i. नगर परिषद, कोडरमा	9,42,83,887=00
		ii. जिला परिषद, कोडरमा	13,67,85,672=00
		iii. नगर पंचायत, कोडरमा	1,42,38,376=00
4.	चतरा	i. जिला परिषद, चतरा	12,66,13,199=00
		ii. नगर परिषद, चतरा	9,25,14,344=83
5.	देवघर	i. जिला परिषद, देवघर	6,73,95,931=33
		ii. नगर निगम, देवघर	38,64,19,349=82
		iii. लॉजिंग हाउस, देवघर	27=00
6.	खुँटी	i. जिला परिषद, खुँटी	4,61,67,850=00
		ii. नगर पालिका, खुँटी	7,32,09,047=00
7.	पाकुड़	i. नगर पालिका, पाकुड़	10,79,58,049=00
		ii. पंचायत बाँडी फंड, पाकुड़	17,07,84,934=00
		iii. मेसो, पाकुड़	6,03,76,816=00
8.	लातेहार	i. जिला परिषद, लातेहार	2,55,83,668=00
		ii. नगर पंचायत, लातेहार	7,83,08,492=00
		iii. मेसो एरिया, लातेहार	78,37,199=00
9.	सरायकेला	i. जिला परिषद, सरायकेला	8,64,96,709=00
		ii. नगर पालिका, सरायकेला	6,41,35,620=89
		iii. एन०ए०सी०, आदित्यपुर,	9,41,16,065=48

		सरायकेला	
		iv. एन०ए०सी० , खरसांवा	1,28,75,594=95
10.	सिमडेगा	i. जिला परिषद्, सिमडेगा	5,04,929=00
		ii. नगर पंचायत, सिमडेगा	7,72,01,214=76
11.	चाईबासा	i. नगर परिषद्, चाईबासा	25,61,99,708=45
		ii. जिला परिषद्, चाईबासा	30,91,85,610=00
12.	पलामू	i. जिला परिषद्, पलामू	34,48,22,124=50
		ii. नगरपालिका, मेदनीनगर	21,88,45,827=19
		iii. एन०ए०सी०, हुसैनाबाद	3,35,98,847=00
		iv. नगर पंचायत, विश्रामपुर	2,08,85,749=00
13.	दुमका	i. वासुकीनाथ नगर पंचायत, दुमका	10,38,72,792=50
		ii. नगर परिषद्, दुमका	40,04,54,691=67
		iii. जिला परिषद्, दुमका	21,45,46,330=17
14.	घाटशिला	i. एन०ए०सी०, चाकुलिया	4,31,32,983=00
15.	साहेबगंज	i. जिला परिषद्, साहेबगंज	4,45,09,043=86
		ii. नगर पालिका, साहेबगंज	16,50,31,335=30
		iii. परियोजना पदाधिकारी, मेसो, साहेबगंज	9,84,15,873=00
16.	धनबाद	i. नगर निगम, धनबाद	92,51,57,875=20
		ii. नगर निगम, चिरकुन्डा	11,19,98,725=00
		iii. जिला परिषद्, धनबाद	45,71,49,239=54
		iv. खनिज क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, धनबाद	58,06,014=63
17.	जमशेदपुर	i. जिला परिषद्, जमशेदपुर	53,05,22,944=16
		ii. जुगसलाई नगरपालिका, जमशेदपुर	2,40,15,872=07
		iii. एन०ए०सी०, जमशेदपुर	54,36,99,567=00
		iv. एन०ए०सी०, मानगो, जमशेदपुर	9,52,96,885=75
18.	गढ़वा	i. जिला परिषद्, गढ़वा	9,18,20,576=00
		ii. नगर पालिका, गढ़वा	6,62,17,677=00
		iii. नगरपालिका मझिआँव, गढ़वा	5,09,85,335=00
19.	राजमहल	i. नगर पंचायत, राजमहल	2,30,05,521=00
		ii. जिला परिषद्, राजमहल	2,01,12,744=00
20.	मधुपुर	i. नगरपालिका, मधुपुर	7,54,42,701=00
21.	चक्रधरपुर	i. नगरपालिका, चक्रधरपुर	11,69,70,724=79
22.	जामताड़ा	i. जिला परिषद्, जामताड़ा	94,79,918=78
		ii. एन०ए०सी० , मिहिजाम, जामताड़ा	3,35,18,300=05
		iii. एन०ए०सी० , जामताड़ा	10,39,78,710=33

23.	गुमला	i. जिला परिषद्, गुमला	5,11,11,191=00
		ii. नगर पंचायत, गुमला	8,36,72,997=75
24.	गिरिडीह	i. नगर पालिका, गिरिडीह	30,84,25,508=00
		ii. परिवहन निगम, गिरिडीह	15,400=00
		iii. जिला परिषद्, गिरिडीह	4,68,84,775=00
25.	लोहरदगा	i. जिला परिषद्, लोहरदगा	2,30,70,600=70
		ii. नगर पंचायत, लोहरदगा	10,01,23,178=30
26.	हजारीबाग	i. नगर पालिका, हजारीबाग	20,70,37,283=08
		ii. जिला परिषद्, हजारीबाग	5,94,14,053=00
		iii. खनिज परिषद्, हजारीबाग	13,09,259=00
27.	बोकारो	i. जिला परिषद्, बोकारो	12,00,89,800=00
		ii. नगरपालिका, चास, बोकारो	6,43,63,338=00
28.	गोड्डा	i. जिला परिषद्, गोड्डा	2,29,77,144=00
		ii. नगर पालिका, गोड्डा	4,36,00,924=33
29.	तेनुघाट	i. एन०ए०सी०, फुसरो, तेनुघाट	8,24,13,138=67
31.	डोरन्डा	i. शिक्षा परिषद्, राँची	9,63,46,805=00
		ii. आयडा, आदित्यपुर	8,10,33,398=00
		iii. बियाडा, बोकारो	1,72,83,817=00
		iv. पर्यटन, डोरन्डा	6,34,73,493=00
		v. जे०एस०इ०बी०, डोरन्डा	10,18,32,01,004=00
		vi. जिडको, राँची	9,94,92,874=00
		vii. झारक्राफ्ट, राँची	48,26,81,717=00
		viii. जेरेडा, राँची	1,25,35,50,835=00
		ix. जे०आर० खादी बोर्ड, राँची	1,92,65,776=00
		x. रियाडा, राँची	3,18,66,737=00
		xi. एसपियाडा, राँची	28,56,644=00
		xii. जे०एस०बी०एस०एन०पी०एस०, राँची	18,23,21,525=00
32.	* प्रोजेक्ट भवन, राँची	i. झारखण्ड स्टेट हाउसिंग बोर्ड, राँची	2,77,01,12,309=00
		ii. उच्च शिक्षा, राँची	
		iii. जे०ए०पी०आई०टी०, राँची	
		iv. झारखण्ड स्पेस एप्लिकेशन सेंटर	
		v. झारखण्ड स्टेट एस०टी० कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन	

**नोट:-** \* प्रोजेक्ट भवन को-नागर, राँची द्वारा स्थानीय निधि खाता का अन्तशेन अलग-अलग नहीं संधारित किया जा रहा है ।

## परिशि-ट -6

( कंडिका 3.1 निर्गत किये गये कंडिकाओं एवं उप कंडिकाओं का विवरण )  
वर्ष 2012-13 में को-ागारों एवं उप-को-ागारों के निरीक्षण के दौरान निर्गत किये गये  
कंडिकाओं एवं उप कंडिकाओं का विवरण

क्रम संख्या	को-ागार/उप-को-ागार का नाम	निर्गत तिथि	कंडिका संख्या	उप-कंडिका संख्या
1	बोकारो	17.12.2012	14	05
2	चाईबासा	25.09.2012	16	14
3	चक्रधरपुर	25.09.2012	10	18
4	चतरा	25.09.2012	06	07
5	देवघर	02.05.2013	20	31
6	धनबाद	06.02.2013	17	24
7	डोरन्डा	25.09.2012	12	24
8	दुमका	06.05.2013	21	34
9	गढ़वा	07.09.2012	13	27
10	घाटशिला	16.01.2013	10	18
11	गिरिडीह	07.03.2013	17	29
12	गोड्डा	06.05.2013	21	31
13	गुमला	30.08.2012	07	25
14	हजारीबाग	18.03.2013	20	46
15	जमशेदपुर	03.12.2012	14	32
16	जामताड़ा	08.05.2013	19	26
17	खुँटी	01.10.2012	10	15
18	कोडरमा	02.05.2013	17	20
19	लातेहार	30.08.2012	06	15
20	लोहरदगा	01.09.2012	17	23
21	मधुपुर	12.02.2013	11	14
22	महेशपुर	07.01.2013	10	16
23	पाकुड़	07.01.2013	22	26
24	पलामू	11.09.2012	13	22
25	प्रोजेक्ट भवन, राँची	01.10.2012	10	24
26	राजमहल	03.01.2013	09	09
27	रामगढ़	10.12.2012	11	14
28	राँची	30.08.2012	17	22
29	साहेबगंज	03.01.2013	16	14
30	सरायकेला	08.01.2013	12	20
31	सिमडेगा	25.09.2012	15	35
32	तेनुघाट	03.01.2013	08	07
<b>कुल</b>			<b>441</b>	<b>687</b>



## परिशि-ट -7

( कंडिका 3.2 विलोपित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिका )

वर्ष 2012-13 में विलोपित की गई कंडिकाओं/उप-कंडिकाओं की सूची

क्रम संख्या	को-गागर/उप-को-गागर का नाम	वर्ष	विलोपित कंडिकाओं की संख्या	विलोपित उप-कंडिकाओं की संख्या
1	बोकारो	2008-09	02	01
		2010-11	00	02
		2011-12	05	10
2	चाईबासा	2001-02	01	01
		2003-04	03	08
		2004-05	02	03
		2006-07	01	03
		2007-08	03	08
		2008-09	09	24
		2009-10	01	00
		2010-11	01	02
		2011-12	02	02
		2012-13	01	00
3	चक्रधरपुर	2008-09	02	05
		2010-11	01	02
		2011-12	02	02
4	चतरा	2001-02	05	12
		2002-03	01	00
		2005-06	03	03
		2006-07	01	04
		2008-09	03	01
		2009-10	03	01
		2010-11	02	00
		2011-12	01	00
5	धनबाद	2000-01	01	03
		2001-02	06	03
		2002-03	06	18
		2004-05	01	02
		2006-07	03	02
		2007-08	00	01
		2008-09	02	01
		2009-10	01	04
		2010-11	01	04
2011-12	01	00		

6	गढ़वा	2002-03	01	00
		2004-05	11	15
		2005-06	03	14
		2007-08	05	04
		2009-10	12	16
		2010-11	01	00
		2011-12	02	00
7	घाटशिला	2003-04	00	01
		2007-08	02	00
		2008-09	02	01
		2009-10	01	00
		2010-11	02	02
		2011-12	03	07
		2012-13	01	00
8	गुमला	2000-01	00	05
		2001-02	18	36
		2002-03	04	09
		2004-05	01	01
		2005-06	11	24
		2007-08	12	21
		2008-09	02	00
		2009-10	06	03
		2010-11	02	00
		2011-12	09	30
9	हजारीबाग	2000-01	01	01
		2001-02	01	00
		2004-05	02	08
		2005-06	02	03
		2006-07	01	04
		2007-08	01	02
		2008-09	00	03
		2009-10	03	07
		2010-11	02	04
		2011-12	03	02
10	जमशेदपुर	2004-05	01	01
		2006-07	04	08
		2008-09	02	02
		2010-11	03	06
		2011-12	02	03

11	खुँटी	2000-01	09	13
		2003-04	05	11
		2005-06	00	06
		2008-09	03	05
		2009-10	02	03
		2010-11	02	00
		2011-12	08	12
12	कोडरमा	2000-01	06	09
		2001-02	01	00
		2002-03	07	20
		2004-05	01	00
		2005-06	01	03
		2006-07	03	09
		2008-09	01	00
		2009-10	02	03
		2010-11	06	04
		2011-12	07	07
13	लातेहार	2004-05	05	05
		2009-10	02	00
		2010-11	10	13
		2011-12	10	22
14	लोहरदगा	2001-02	03	23
		2002-03	02	04
		2006-07	01	03
		2007-08	02	00
		2008-09	13	22
		2009-10	04	02
		2010-11	04	05
		2011-12	07	11
15	मधुपुर	2007-08	01	01
		2008-09	01	00
		2009-10	02	05
16	महेशपुर	2007-08	01	00
		2008-09	02	05
		2009-10	04	04
		2010-11	02	01
		2011-12	01	00
17	पलामू	2000-01	02	01
		2002-03	03	04
		2009-10	01	01

		2010-11	04	02
		2011-12	01	01
		2012-13	01	00
18	प्रोजेक्ट भवन, राँची	2007-08	01	03
		2008-09	02	00
		2009-10	04	00
		2010-11	01	00
		2011-12	03	02
19	राजमहल	2008-09	01	00
		2009-10	01	02
		2010-11	03	03
		2011-12	07	08
		2012-13	01	00
20	रामगढ़	2003-04	02	02
		2005-06	05	02
		2009-10	03	03
		2010-11	04	06
		2011-12	06	05
21	राँची	2009-10	08	18
		2010-11	03	04
		2011-12	04	02
		2012-13	01	00
22	साहेबगंज	2002-03	03	14
		2007-08	01	02
		2008-09	00	14
		2009-10	02	01
		2010-11	05	07
		2011-12	01	03
23	सरायकेला	2000-01	02	02
		2008-09	06	08
		2009-10	05	02
		2010-11	11	18
		2011-12	03	04
24	तेनुघाट	2006-07	04	13
		2007-08	01	06
		2008-09	05	08
		2009-10	02	02
		2011-12	08	18
25	देवघर	2004-05	07	01
		2005-06	02	04

		2007-08	08	04
		2008-09	05	00
		2009-10	04	01
		2010-11	10	07
		2011-12	16	06
26	गोड्डा	2001-02	08	07
		2002-03	12	06
		2004-05	00	02
		2005-06	04	04
		2007-08	02	03
		2008-09	01	14
		2009-10	07	11
		2010-11	05	03
		2011-12	20	26
		2012-13	01	00
27	दुमका	2001-02	06	16
		2003-04	01	00
		2004-05	02	09
		2005-06	00	02
		2007-08	01	00
		2008-09	01	00
		2009-10	03	07
		2011-12	14	08
28	जामताड़ा	2004-05	02	03
		2005-06	01	03
		2007-08	15	14
		2008-09	02	03
		2009-10	03	04
		2010-11	09	15
		2011-12	19	30
29	पाकुड़	2000-01	08	13
		2002-03	01	01
		2004-05	02	02
		2005-06	00	03
		2007-08	02	02
		2009-10	09	11
		2010-11	03	00
		2011-12	03	03
		2012-13	03	02

30	सिमडेगा	2005-06	02	06
		2007-08	01	13
		2008-09	09	26
		2009-10	02	04
		2010-11	01	02
		2011-12	02	11
31	गिरिडीह	2000-01	07	07
		2001-02	10	08
		2002-03	01	13
		2004-05	01	01
		2005-06	11	22
		2006-07	01	03
		2008-09	06	01
		2009-10	03	03
		2010-11	04	00
		2011-12	06	06
		2012-13	01	00
		32	डोरन्डा	2004-05
2006-07	02			13
2008-09	03			02
2009-10	07			05
2010-11	05			08
<b>कुल योग</b>			<b>796</b>	<b>1203</b>

## परिशि-ट -8

( कंडिका 3.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिका )

वर्ष 2012-13 तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति

क्रमांक	को-गागर/उप-को-गागर का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लंबित कंडिका	लंबित उप-कंडिका
1	बोकारो	2009-10	02	03
		2010-11	01	02
		2011-12	01	01
		2012-13	14	05
2	चाईबासा	2001-02	03	13
		2003-04	01	04
		2006-07	01	00
		2007-08	04	22
		2008-09	04	03
		2009-10	01	00
		2010-11	03	01
		2011-12	01	00
		2012-13	15	14
3	चक्रधरपुर	2007-08	01	02
		2008-09	01	04
		2009-10	03	09
		2010-11	01	00
		2011-12	01	01
		2012-13	10	18
4	चतरा	2000-01	02	05
		2002-03	02	02
		2005-06	01	01
		2006-07	02	03
		2007-08	02	08
		2008-09	04	03
		2009-10	03	03
		2010-11	01	03
		2011-12	02	00
		2012-13	06	07
5	देवघर	2005-06	02	05
		2007-08	03	01
		2008-09	03	01
		2009-10	01	00
		2010-11	05	02

		2011-12	08	00
		2012-13	20	30
6	धनबाद	2002-03	04	04
		2004-05	01	02
		2006-07	01	03
		2007-08	01	04
		2008-09	01	04
		2009-10	03	01
		2010-11	01	03
		2012-13	17	24
7	डोरन्डा	2005-06	01	03
		2006-07	01	02
		2007-08	01	03
		2008-09	01	12
		2009-10	01	00
		2010-11	03	01
		2011-12	01	01
		2012-13	13	19
8	दुमका	2001-02	01	04
		2003-04	01	03
		2005-06	01	01
		2008-09	03	12
		2009-10	03	02
		2010-11	02	02
		2011-12	05	03
		2012-13	21	23
9	गढ़वा	2004-05	02	01
		2005-06	02	01
		2007-08	01	00
		2011-12	02	00
		2012-13	13	27
10	घाटशिला	2003-04	01	07
		2005-06	01	02
		2007-08	02	01
		2008-09	02	06
		2009-10	02	02
		2010-11	02	00
		2011-12	03	00
		2012-13	09	18



11	गिरिडीह	2000-01	03	04
		2001-02	03	00
		2002-03	02	06
		2006-07	02	08
		2007-08	01	02
		2008-09	03	03
		2009-10	03	04
		2010-11	02	02
		2011-12	02	02
		2012-13	16	34
12	गोड्डा	2001-02	02	06
		2002-03	01	01
		2003-04	01	01
		2004-05	01	01
		2008-09	01	05
		2009-10	01	00
		2010-11	01	00
		2012-13	21	25
13	गुमला	2001-02	04	07
		2002-03	02	06
		2004-05	01	01
		2005-06	02	02
		2007-08	03	03
		2010-11	01	03
		2011-12	02	03
		2012-13	07	25
14	हजारीबाग	2001-02	01	02
		2004-05	02	03
		2007-08	02	03
		2008-09	04	15
		2009-10	03	02
		2010-11	01	01
		2011-12	01	01
		2012-13	20	46
15	जमशेदपुर	2003-04	01	05
		2004-05	01	03
		2006-07	01	08
		2008-09	02	06
		2010-11	01	01
		2011-12	02	04

		2012-13	14	32
16	जामताड़ा	2007-08	01	00
		2009-10	03	02
		2011-12	01	01
		2012-13	19	21
17	खुँटी	2000-01	01	00
		2003-04	02	04
		2005-06	02	07
		2007-08	02	07
		2008-09	02	15
		2009-10	05	04
		2010-11	01	00
		2011-12	08	03
		2012-13	10	15
18	कोडरमा	2000-01	01	02
		2001-02	01	02
		2002-03	02	05
		2005-06	01	01
		2007-08	02	09
		2008-09	01	04
		2009-10	04	02
		2010-11	01	02
		2011-12	05	06
		2012-13	17	20
19	लातेहार	2001-02	09	06
		2007-08	05	06
		2009-10	02	02
		2010-11	01	01
		2011-12	03	04
		2012-13	06	15
20	लोहरदगा	2000-01	02	04
		2001-02	03	08
		2002-03	01	01
		2004-05	01	01
		2006-07	01	01
		2007-08	01	04
		2008-09	02	08
		2009-10	02	02
		2010-11	02	04
		2012-13	17	23

21	मधुपूर	2005-06	01	04
		2009-10	02	01
		2011-12	01	01
		2012-13	11	14
22	महेशपुर	2007-08	02	04
		2012-13	10	16
23	पाकुड़	2000-01	02	05
		2002-03	02	02
		2005-06	03	02
		2007-08	01	00
		2008-09	03	04
		2009-10	05	04
		2010-11	02	02
		2011-12	01	03
		2012-13	19	24
24	पलामू	2000-01	01	04
		2002-03	04	01
		2009-10	01	01
		2011-12	01	01
		2012-13	12	22
25	प्रोजेक्ट भवन, राँची	2004-05	01	02
		2005-06	01	04
		2007-08	01	04
		2008-09	03	08
		2009-10	03	12
		2010-11	02	02
		2011-12	01	04
		2012-13	10	24
26	राजमहल	2008-09	02	02
		2009-10	02	02
		2011-12	06	05
		2012-13	08	09
27	रामगढ़	2003-04	01	01
		2008-09	01	02
		2009-10	02	01
		2010-11	01	01
		2011-12	02	12
		2012-13	11	14
28	राँची	2001-02	02	12
		2007-08	02	02

		2009-10	01	01
		2010-11	03	07
		2011-12	01	01
		2012-13	16	22
29	साहेबगंज	2002-03	01	02
		2003-04	01	03
		2007-08	02	02
		2008-09	02	15
		2009-10	01	05
		2010-11	01	00
		2011-12	02	04
		2012-13	16	14
30	सरायकेला	2007-08	02	04
		2008-09	02	06
		2010-11	06	02
		2012-13	12	20
31	सिमडेगा	2005-06	01	03
		2007-08	03	19
		2008-09	03	06
		2009-10	03	04
		2010-11	02	01
		2011-12	01	01
		2012-13	15	15
32	तेनुघाट	2003-04	01	03
		2007-08	03	06
		2008-09	01	02
		2009-10	03	07
		2010-11	01	03
		2011-12	02	05
		2012-13	08	07
<b>कुल योग</b>			<b>821</b>	<b>1313</b>

## परिशि-ट -9

### (कंडिका 3.3.1 पेंशन संबंधित अभिलेख)

क्रम संख्या	को-नागर/उप-को-नागर का नाम	झा0को0संहि0 भाग-1 के नियम 371 के तहत विवाह/पुनर्विवाह प्रमाण पत्र पेश किया गया	झा0को0संहि0 भाग-1 के नियम 386 के तहत जीवित प्रमाण पत्र पेश किया गया	झा0को0संहि0 भाग-1 के नियम 372(1) के तहत रोजगार/पुनः रोजगार प्रमाण पत्र पेश किया गया	पी0पी0ओ0 में भाग-VI भरा गया	पी0पी0ओ0 में भाग-III भरा गया
1	बोकारो	√	√	√	√	√
2	चाईबासा	X	X	√	X	X
3	चक्रधरपुर	√	X	√	√	X
4	चतरा	X	X	X	√	√
5	देवघर	√	√	√	X	X
6	धनबाद	√	√	√	X	√
7	डोरन्डा	√	√	√	√	√
8	दुमका	√	X	X	X	X
9	गढ़वा	√	√	√	√	√
10	घाटशिला	√	√	√	√	X
11	गिरिडीह	√	√	√	√	√
12	गोड्डा	√	√	√	X	√
13	गुमला	√	√	√	√	√
14	हजारीबाग	√	√	√	√	√
15	जमशेदपुर	√	√	√	√	X
16	जामताड़ा	√	√	√	X	√
17	खुँटी	√	√	√	X	X
18	कोडरमा	√	X	X	√	√
19	लातेहार	√	√	√	X	X
20	लोहरदगा	√	√	√	X	X
21	मधुपुर	X	√	√	√	X
22	महेशपुर	√	√	√	X	X
23	पाकुड़	√	√	√	X	X
24	पलामू	√	√	√	X	X
25	प्रोजेक्ट भवन	संबंधित नहीं है				
26	राजमहल	√	√	√	√	√
27	रामगढ़	√	√	√	√	√
28	राँची	X	√	√	X	√
29	साहेबगंज	√	√	√	√	X
30	सरायकेला	√	√	√	X	√
31	सिमडेगा	√	√	√	X	X
32	तेनुघाट	√	√	√	X	X
	X = अनुपालन नहीं किया गया	√ = अनुपालन किया गया				

## परिशि-ट -10

(कंडिका 3.3.2 पेंशन संबंधित अभिलेख )

पेंशनधारी की मृत्यु के उपरान्त पेंशन प्राप्ति हेतु अन्य दावेदारों के नहीं होने की स्थिति में पेंशन भुगतान आदेशों को महालेखाकार कार्यालय को वापस नहीं किया जाना

क्रमांक	को-गागर/उप-को-गागर का नाम	पेंशनधारी का नाम	पी0पी0ओ0 संख्या	अभियुक्ति (अंतिम भुगतान)
1	धनबाद	श्रीमती नोरा दास	5716	28.11.2006
		श्रीमती छाया रानी घो-न	58663	15.05.2003
		श्रीमती सुन्दरपती देवी	134965	04.05.2006
		श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल	S/88381	08.10.2002
		श्रीमती राज मोती देवी	S/43074	21.05.2004
2	गढ़वा	श्रीमती नामवंती देवी	FRHEDN5752/S	--
		श्री अजय कुमार	S/113469	--
3	गोड्डा	श्री योगेन्द्र प्रसाद शाह	GDDEDN17044	--
4	घाटशिला	स्व0 कुंज बिहारी मुरमु	JSREDN-24624(S)	--
5	दुमका	श्रीमती बहामुणी मरांडी	S/79996	04.05.2011
		दुलारी हेम्ब्रोम	241196	30.11.2010
		जिरिया देवी	S/91275	31.03.2008
		बिकास कुमार सिंह	DMKEDN1501/S	30.09.2009
		वसीम बानो	206017	23.01.2011
		सोना मरांडी	S/29365	23.12.11
		पार्वती सोरेन	175267	01.04.2012
		उर्मिला देवी	226880	23.12.2011
		एकमनी देवी	S/55334	22.08.2009
		मथुरा मरांडी	199768	24.10.2008
		राज कुमारी देवी	121409	10.04.2010
		रानी सोरेन	S/30077	30.11.2011
		आची टुडू	DMKFMW1309	22.03.2011
		सरोढी हांसदा	NR 815	03.02.2012
		रमानन्द गुप्ता	S/84147	29.04.2012
		फुलमनी टुडू	209356	27.03.2012
		साबरी मरांडी	212765	05.12.2009
		फुलमणी मुरमू	327260	31.03.2012
		चुरकी हांसदा	S/74190	23.05.2009
		प्रधान टुडू	154472	24.09.2009
सोना मुरमू	S/40187	24.06.2010		
चाँदनी कुमारी	S/66787	17.11.2011		
मीरा तुरी	228745	03.09.2011		
मरियम टुडू	173921	26.06.2010		

		चिंता देवी	S/99035	28.04.2010
		सतीश चन्द्र दास	196675	31.03.2010
		एलिजावेथ मुरमू	DMKSSW038/S	01.04.2012
		सुबाला विश्वाश	261986	01.04.2012
		बोनदोली सोरेन	290546	01.08.2010
		गुमी मुरमू	148090	31.07.2011
		सुन्दरी मुरमू	56895	01.02.2012
		जमुना मंडल	213691	12.10.2010
		शांती बासकी	123583	31.10.2008
		विटिया टुडू	261881	30.06.2012
		इकमनी देवी	141301764	03.01.2013
6	खुँटी	श्रीमती मोनिका तिरु	S/10928	--
		श्री हिन्दु हंस मुण्डा	RNCEDN836	--
7	लोहरदगा	श्रीमती वीणा थापा	S/96589	5/08
		श्रीमती फुल देवी	LDGHOM	2/10
		श्रीमती रोपा उराँव	S/2493	12/10
		श्रीमती गुलशन आरा	179586	10/11
		सिस्टर क्रिशलिन	LDGEDN10854	12/11
8	पाकुड़	मन्था हेम्ब्रोम	99822	--
		यार मोहम्मद	PKRDAD 1663	--
		नाचन सोरेन	S/66143	--

## परिशि-ट -11

(कंडिका 3.3.3 पेंशन संबंधित अभिलेख )

छः माह या अधिक की अवधि से पेंशन आहरण नहीं करने वाले पेंशनधारियों की सूची

क्रमांक	को-गागर/उप-को-गागर का नाम	क्रम संख्या	पेंशनधारी का नाम	पी0पी0ओ0 संख्या
1	धनबाद	1	श्री पथिक रंजन चक्रवर्ती	S/105117
		2	श्री विजय कुमार शर्मा	S/88952
		3	श्री केशर माँझी	001916
		4	श्री शिकिल मोची	DHNECTX023
		5	श्री दिलिप शर्मा	DHNEDN8701
		6	श्री स्वरूप भट्टाचार्या	DHNEDN8684-S
		7	श्रीमती शशि राय	DHNDAD2371/S
		8	श्री कृ-ण नन्दन पाण्डेय	DHNRCD2763
		9	श्रीमती चंद्रा राउत	DHNPOL1668/S
		10	श्रीमती सुमी देवी	DHNFMW1657/S
		11	सुश्री ब्रताती गुहा	DHNEDP14614/S
2	गढ़वा	1	श्री जयराम उराँव	GRHFOR-908
		2	मोबिना बेगम	S/107024
		3	श्री शंकर महतो	GRHPOL2873
		4	श्री राम किशुन राम	GRHEDN22886
3	गोड्डा	1	श्री अर्जुन रविदास	GDDEDN24525
		2	श्री शिव लाल हंसदा	GDDEDN24212
		3	श्री जय कान्त मिश्रा	GDDFIN101
		4	श्री जय कृ-ण मिश्रा	GDDEDN26578
		5	बरखा मरांडी	GDDIRR2212
		6	रमानन्द सिंह	GDDFMW2095
		7	गंगा प्रसाद भगत	GDDEDN17406
4	जमशेदपुर	1	श्रीमती निर्मला प्रसाद	JSRPOL-2425(S)
		2	श्रीमती श्रवाणी भुमिज	JSRPOL-2963
		3	मो0 शिराजुद्धीन खान	JSRWRD3902(P)
5	कोडरमा	1	नरेन्द्र कुमार सिंह	KDMMEDN7258S
6	पलामू	1	श्री गुप्तेश्वर राम	PLMEDN16837
		2	श्रीमती निर्मला देवी	PLMDAD3039/S
		3	श्री गिरेन सिंह	PLMEDN16699
7	सरायकेला	1	श्री मदन मोहन ठाकुर	SKLTAA-024
		2	श्री महमुद्धीन	SKLIRR-2115



8	चक्रधरपुर	1	श्रीमती मृदुला एक्का	S/61644(P)
		2	श्री हरि शंकर सिंह	322762
9	घाटशिला	1	श्री बिधान चन्द्र पॉल	JSRDAD-3982
		2	श्रीमती लालमती टीकादार	JSRFMW-3930
		3	श्री अमुल्य चन्द्र महतो	JSRFMW-3671
		4	श्री विजय कुमार बेरा	GHTDAD-5164
10	जामताड़ा	1	श्री भुतनाथ पॉल	JMTIRR206
		2	श्रीमती आरती चक्रवर्ती	41175
		3	श्रीमती शंकरी मोची	JMTDAD1837/S
		4	श्रीमती बहामुणी सोरेन	JMTDAD2062/S
11	महेशपुर	1	श्रीमती कल्पना हेम्ब्रोम	S/001042
		2	श्री मनोज कुमार हंसदा	PKRFMW 2365/S
12	राँची	1	सुश्री सुदेश कुमारी मल्लिक	RNCEDN 10147
		2	श्री रोशन थामी	RNCPOL 1080
		3	श्रीमती सुनैना देवी	RNCEDN 13313(s)
13	सिमडेगा	1	श्री मुगरू सिंह	SDGEDN18442
		2	श्री केलमेंट कियो	SMDEDN17812
		3	श्रीमती अगस्तया बारा	SDGEDN24764/S
14	देवघर	1	श्री सानु माँझी	DGRDAD1934/S
		2	स्व० अरुण चौधरी	DGRPOL1882/S
		3	श्री प्रशांत कुमार सिन्हा	DGREDN18586/S
		4	श्री जयकांत मिश्रा	DGRPOL2884
15	लोहरदगा	1	श्रीमती वीणा थापा	S/96589
		2	श्रीमती फुल देवी	LDGHOM
		3	श्रीमती रोपा उराँव	S/2493
		4	श्रीमती गुलशन आरा	179586
		5	सिस्टर क्रिशलिन	LDGEDN10854
16	दुमका	1	श्री बैधनाथ टुडू	DMKEDN25898
		2	श्रीमती अरुण प्रभा महतो	DMKEDN26102
		3	श्री चरण सोरेन	DMKFMW2590
		4	श्रीमती जगनु बीबी	DMKFMW2318
		5	श्रीधर हाजरा	DMKPOL2637
		6	श्रीमती पाँली बनर्जी	DMKFMW2141
		7	श्री सज्जन गिरी	DMKPOL2449
		8	श्री बाबला मरांडी	DMKDAD5345
		9	श्री हुगलू हेमब्रुम	DMKDAD4679
		10	सेबाटीन हंसदा	DMKROD831
17	गिरिडीह	1	श्री अल्फ्रेड बेसरा	371613
		2	श्री गिरधारी सिंह	333960
		3	श्री लगन मुरमू	322683

4	श्रीमती रामा देवी	S/79182
5	श्रीमती लक्ष्मी देवी	S/83042
6	श्रीमती मकरीना टुडू	298077
7	श्रीमती लीलमुणी मरांडी	GRDDAD0652S
8	श्रीमती चंद्रिका देवी	GRDDAD0760S
9	मसो० शान्ति देवी	GRDRV141S
10	श्रीमती निलमणी टुडू	GRDDAD0697S
11	श्रीमती सोनिया देवी	GRDEDN4725S
12	श्री नुनु राम राय	GRDEDN6245
13	श्री कन्हार्ई साव	NR0255(W.B.)
14	श्री प्रेम महतो	NR0036(W.B.)
15	श्री पारसनाथ प्रसाद	322231
16	श्रीमती माधुरी देवी	S/88587
17	श्रीमती बंधनी देवी	S/78769
18	श्रीमती बीबी सकुरन	S/83171
19	श्री राम नारायण दुसाध	282319
20	श्री बाबुलाल महतो	281777
21	श्री प्रभात हंसदा	374101
22	श्रीमती शकुन्तला देवी	300012
23	श्री हरि मेहतर	300208
24	मो० जब्बार	300448
25	श्रीमती प्यारी देवी	GRDDAD1827S
26	श्रीमती धनेश्वरी देवी	GRDFMW2208
27	श्रीमती लालमुनी देवी	187378
28	श्री शुभलाल राम	199169
29	श्रीमती देवकी देवी	32895
30	मो० उस्मान खॉ	154913
31	श्रीमती सोमरी दास	222695(W.B.)
32	श्रीमती विधा देवी	268220
33	श्री शिवदानी शर्मा	011274
34	श्री चतुर्भुज महतो	GRDCTX61S
35	श्री कुंदन कुमार	S/66868
36	श्री फ्रेंकलीन मुरमू	GRDEDN11617S
37	श्री वासुदेव दास	NR1307

**परिशि-ट -12**

( कंडिका 3.3.4 पेंशन संबंधित अभिलेख )  
अधिक पेंशन भुगतान से संबंधित विवरण

क्रमांक	को-गागार/उप-को-गागार का नाम	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी0पी0ओ0 संख्या	राशि ( ₹ में )
1	सिमडेगा	अनस्थासिया समद	SDGEDN23234	937/-
		इमरेनशिया कुल्लु	SDGFMW4227/S	13,252/-
		अमुल्या कुजूर	SDGEDN26190	4,471/-
		जोलेन टोपनो	SDGEDN26054	7,399/-
2	हजारीबाग	जॉन नाग	HZBEDN5306	1,02,342/-
		चमन राम	HZBEDN18371	16,800/-
		महेन्द्र प्रसाद	HZBIRR1372	12,498/-
		सी0डी0 विश्वकर्मा	HZBFMW2787	11,980/-
		जगदीश प्रसाद	HZBPOL2273	5,360/-
		सचिदानन्द सिंह	HZBEDN18710	15,088/-
		महेश लाल	HZBEDN19068	25,970/-
		माधुरी बाला	HZBEDN19466	26,404/-
		नागेश्वर पाठक	HZBEDN19467	17,712/-
		देवकुमार राम	HZBEDN19698	22,260/-
		मोनिका मुखर्जी	HZBEDN19671	24,710/-
		जुलियस कच्छप	HZBADJ417	37,752/-
		देवी महतो	HZBEDN19830	41,400/-
		एस0एन0राम	HZBEDN19827	23,320/-
		चन्द्रिका देवी	HZBEDN18974	34,080/-
		उर्मिला देवी	HZBEDN24107	11,658/-
		इब्राहिम अली	HZBEDN21653	43,488/-
		फैयाज अहमद	HZBDAD4065	1,12,315/-
		बसंत प्रसाद	HZBEDN24205	33,278/-
		राजेश्वर पाठक	HZBPOL2705	17,076/-
		काशीराम राणा	HZBEDN24494	1,23,408/-
		जगदीश राम	HZBEDN24800	80,000/-
		रियासत अली	HZBPOL2804	16,344/-
		रणधीर सिंह	HZBPOL2883	45,288/-
		अयुब अन्सारी	HZBLNE237	41,800/-
		सुरेश प्रसाद सिंह	HZBEDN25794	2,01,084/-
		बनबारी प्रसाद	HZBEDN22836	62,610/-
नारायण वैध	HZBEDN25822	11,946/-		
अमरजीत कौर	HZBEDN25919	11,748/-		
डोमन राम	HZBFIN098	35,448/-		

		जे०आर०महली	HZBEDN26177	27,288/-
		एम० आई गुप्ता	HZBEDN23111	26,100/-
		खेदन नायक	HZBEDN26289	1,43,034/-
		नाजीर हुसैन	HZBEDN23437	69,066/-
		आर०के०पी० सिन्हा	HZBEDN23436	47,275/-
		इमैनुएल खलखो	HZBEDN23438	88,830/-
		नर्मदेश्वर गुरो	HZBEDN26290	43,824/-
3	गिरिडीह	नकुल राम	111201556	37,152/-
		बी०एन० तिवारी	111200053	45,682/-
		निरंजन तुरी	GRDPOL3051(S)	1,989/-
		ललन प्रसाद	GRDDAD5362	90,000/-
4	चक्रधरपुर	कमल किस्टो तांती	SGHDAD3447	12,182/-
5	घाटशिला	रानी बाला हेम्बुम	JSREDN22918/S	3,680/-
<b>कुल योग</b>				<b>19,27,328/-</b>

## परिशि-ट -13

(कंडिका 3.4 राजपत्रित पदाधिकारियों की वेतन पंजी)

**राजपत्रित पदाधिकारियों की वेतन पंजी में पायी गई त्रुटियाँ**

क्रम संख्या	को-नागार/उप-को-नागार का नाम	झा0को0संहि0 भाग-1 के नियम 187 के तहत वेतन पर्ची का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए	राजपत्रित पदाधिकारियों के स्थानान्तरण अथवा सेवा समाप्ति के पश्चात् नमूना हस्ताक्षर को रद्द किया जाना चाहिए
1	बोकारो	<b>x</b>	√
2	चाईबासा	<b>x</b>	<b>x</b>
3	चक्रधरपुर	√	<b>x</b>
4	चतरा	√	<b>x</b>
5	देवघर	√	<b>x</b>
6	धनबाद	√	√
7	डोरन्डा	√	√
8	दुमका	<b>x</b>	<b>x</b>
9	गढ़वा	√	√
10	घाटशिला	<b>x</b>	<b>x</b>
11	गिरिडीह	<b>x</b>	<b>x</b>
12	गोड्डा	<b>x</b>	<b>x</b>
13	गुमला	√	<b>x</b>
14	हजारीबाग	<b>x</b>	<b>x</b>
15	जमशेदपुर	<b>x</b>	<b>x</b>
16	जामताड़ा	√	<b>x</b>
17	खुँटी	√	√
18	कोडरमा	√	<b>x</b>
19	लातेहार	√	<b>x</b>
20	लोहरदगा	<b>x</b>	<b>x</b>
21	मधुपूर	√	√
22	महेशपुर	√	<b>x</b>
23	पाकुड़	<b>x</b>	<b>x</b>
24	पलामू	<b>x</b>	<b>x</b>
25	प्रोजेक्ट भवन, राँची	<b>x</b>	<b>x</b>
26	राजमहल	<b>x</b>	<b>x</b>
27	रामगढ़	<b>x</b>	√
28	राँची	<b>x</b>	<b>x</b>
29	साहेबगंज	<b>x</b>	<b>x</b>
30	सरायकेला	<b>x</b>	√
31	सिमडेगा	<b>x</b>	√
32	तेनुघाट	√	√

**x = अनुपालन नहीं किया गया**

**√ = अनुपालन किया गया**

**परिशि-ट -14**

[कंडिका 3.4(2) राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा अधिक भत्ते का आहरण]  
महालेखाकार के वेतन पर्ची के बिना राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा अधिक भत्ते का  
आहरण

क्रमांक	को-गागर/उप- को-गागर का नाम	पदाधिकारियों का नाम	विस्तृत विवरण	राशि ( ₹ में )
1	सिमडेगा	श्री प्रेमनाथ महतो, ए0पी0पी0	मकान किराया भत्ता	19,584/-
2	पाकुड़	श्री चन्द्रेश्वर कापर	मकान किराया भत्ता	3,228/-
		डा0 श्याम प्रसाद भगत	मकान किराया भत्ता	16,476/-
		श्री भोला प्रसाद चौरसिया	मकान किराया भत्ता	2,184/-
3	बोकारो	डा0 एम0 हसमतुल्लाह	परिवहन भत्ता	2,320/-
4	गिरिडीह	श्री संदीप श्रीवास्तव	वेतन एवं भत्ता	22,276/-
5	चाईबासा	डा0 विनोद कुमार आर्या	मकान किराया भत्ता	19,300/-
		श्री विश्वनाथ साहु	परिवहन भत्ता	8,969/-
6	चक्रधरपुर	श्री संजय कुमार, कार्य0अभि0	मकान किराया भत्ता	4,327/-
		श्री मिथिलेश कुमार, एस0टी0ओ0	मकान किराया भत्ता	69,170/-
		श्री कुलदीप तिकी	वेतन	1,863/-
7	धनबाद	श्री आन्नद देव प्रसाद सिंह	मकान किराया भत्ता	4,506/-
8	साहेबगंज	श्री रघु नंदन दास	मकान किराया भत्ता	56,740/-
<b>कुल योग</b>				<b>2,30,943/-</b>

## परिशि-ट -15

[कंडिका 3.4(3) राजपत्रित पदाधिकारियों के सामान्य भवि-य निधि की कम कटौती]  
राजपत्रित पदाधिकारियों के सामान्य भवि-य निधि की न्यूनतम से कम कटौती से संबंधित  
विवरण

क्रमांक	को-गागर का नाम	क्रम संख्या	पदाधिकारियों के नाम	अवधि	राशि ( ₹ में )
1	महेशपुर	1	श्री गोपाल ठाकुर	2/12 से 10/12	225/-
2	हजारीबाग	1	श्री मार्शल खलखो	2011-12	24/-
		2	डा0 मधुबाला राणा	2012-13	138/-
3	दुमका	1	डा0 रमेश प्रसाद वर्मा	3/12 से 1/13	1182/-
4	गोड्डा	1	डा0 प्रवीण कुमार राम	7/10 से 2/12	264/-
				7/12 से 1/13	448/-
		2	डा0 शिवा कान्त शर्मा	7/11 से 2/12	544/-
		3	डा0 ए0आर0 श्रीवास्तव	7/12 से 11/12	200/-
<b>कुल योग</b>					<b>3025/-</b>

## परिशि-ट -16

[ कंडिका 3.4(4) लाईसेंस शुल्क की वसूली ]  
लाईसेंस शुल्क की वसूली न किये जाने से संबंधित विवरण

क्रमांक	को-गागर का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अवधि
1	गुमला	2012-13	1	श्री अनिरुद्ध कुमार	2011-12
2	जामताड़ा	2012-13	1	डा० शैलेन्द्र कुमार झा	2012-13
			2	डा० अरुण कुमार पाण्डेय	2012-13
			3	डा० गुलाब चंद भगत	2012-13
			4	डा० कामेश्वर शर्मा	2012-13
			5	डा० विरेन्द्र प्रसाद	2012-13
			6	डा० गुलाब चंद भगत	2010-11
			7	श्री उमेश कुमार राय	2010-11
			8	श्री वासुदेव प्रसाद सिंह	2010-11
3	लातेहार	2012-13	1	डा० हरेन चंद महतो	2011-12
			2	डा० सुरेन्द्र कुमार सिंह	2011-12
			3	श्री अरुण कुमार गुप्ता	2011-12
			4	श्री बसंत कुमार मेहता	2011-12
			5	श्री रमेश प्रसाद	2011-12
			6	श्री कुमार रवि शंकर	2011-12
4	बोकारो	2012-13	1	श्री बलदेव राय	2011-12
			2	श्री नागेन्द्र चौधरी	2011-12
5	साहेबगंज	2012-13	1	श्री शशि भु-ण पुरण	2011-12
6	देवघर	2012-13	1	श्री सुधीर कुमार दास	2012-13
			2	श्री मिथलेश पाण्डेय	2012-13
			3	डा० रंजन सिन्हा	2012-13
			4	डा० अशोक कुमार	2012-13
7	दुमका	2012-13	1	डा० मेरी तेलमा दान	3/12 से 1/13
			2	डा० अशोक कुमार गुप्ता	3/12 से 2/13
			3	डा० लक्ष्मण राम रजक	3/12 से 11/12
			4	डा० अभय कु० यादव	3/12 से 08/12
			5	श्री विजय मोहन प्रसाद	3/12 से 12/12
8	तेनुघाट	2012-13	1	डा० कृ-ण कुमार शर्मा	2012-13
			2	श्री नंद लाल मंडल	2012-13



## परिशि-ट -17

[ कंडिका 3.4(5) असमान रूप से आयकर की कटौती ]  
आयकर अधिनियम के तहत समान रूप से आयकर की कटौती न किया जाना

क्रमांक	को-गागर/उप-को-गागर का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अवधि
1	चतरा	2012-13	1	डा0 सुनील कुमार सिंह,	3/11 से 5/11
			2	डा0 रविन्द्र लाल	3/11 से 6/11
			3	डा0 अश्विन कुमार	3/11 से 6/11
2	धनबाद	2012-13	1	श्री सिद्धेश्वर मन्ना	3/11 से 2/12
			2	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह	3/11 से 2/12
3	महेशपुर	2012-13	1	श्री राजेन्द्र चौधरी	4/11 से 1/12
			2	डा0 प्रमोद कुमार	4/12 से 11/12
4	सिमडेगा	2012-13	1	श्री सुदर्शन चौबे	2012-13
			2	श्री बिहारी प्रसाद	2012-13
			3	श्री प्रेमनाथ महतो	2012-13
			4	डा0 वी0एन0 खन्ना	2012-13
			5	श्री ताराकान्त गोगराई	2012-13
5	बोकारो	2012-13	1	श्री कुमार राजेश	3/11 से 2/12
			2	श्री संजय कुमार सिन्हा	3/11 से 2/12
			3	श्री मनोज कुमार सिंह	3/11 से 2/12
6	चक्रधरपुर	2012-13	1	श्री प्रवीण जयंत भेंगरा	3/12 से 5/12
			2	श्री प्रकाश बिरसा लकडा	3/12 से 7/12
			3	डा0 एस0पी0 सिंह	3/12 से 7/12
			4	श्रीमती बीणा भेंगरा	3/12 से 7/12
7	डोरन्डा	2012-13	1	श्री सुरेश कुमार गुप्ता	2012-13
			2	सुश्री वेलेन्टीना टोपनो	2012-13
8	घाटशिला	2012-13	1	श्री दिनेश कुमार	3/12 से 9/12
			2	मो0 नसरुद्दीन	3/12 से 9/12
			3	श्री संदीप बक्शी	3/12 से 9/12
			4	श्री कमला कान्त सिंह	3/12 से 9/12
			5	श्री आशोक कुमार दास	3/12 से 9/12
			6	डा0 मनोज कुमार महन्ता	3/12 से 9/12
			7	डा0 राम शरीख प्रसाद	3/12 से 9/12
9	खुँटी	2012-13	1	डा0 सुधीर कु0 सान्डिल	4/11 से 12/11
			2	डा0 अनादि कुमार माँझी	6/11 से 12/11
			3	डा0 सी0एस0 जयसवाल	3/11 से 2/12
			4	डा0 अजय शंकर सिंह	3/11 से 2/12
			5	डा0 मधुसूदन भगत	3/11 से 2/12
10	लोहरदगा	2012-13	1	श्री अंजनी कुमार पाठक	2012-13
			2	श्री विनघ्यान्चल पाण्डेय	2011-12

			3	डा0 उपेन्द्र प्रसाद	2011-12
11	पाकुड़	2012-13	1	श्रीकान्त राय	3/12 से 5/12
			2	श्री रमानुज पाठक	12/11 से 2/12
12	साहेबगंज	2012-13	1	श्री राजेश कुमार वैश्य	2011-12
			2	श्री दिवाकार पाण्डेय	2011-12
			3	श्री अशोक कुमार	2011-12
			4	श्री हरि शंकर झा	3/11 से 2/12
13	तेनुघाट	2012-13	1	डा0 संगीता कुमारी	4/11 से 1/12
			2	श्रीमती शशि वर्मा	4/11 से 1/12
			3	डा0 सतेन्द्र नारायण	3/11 से 1/12
14	चाईबासा	2012-13	1	श्री ब्रजेश कुमार वर्मा	2011-12
			2	श्री चन्द्र मोहन पुरन	2011-12
			3	श्री चन्द्र गोविन्द देव	2011-12
			4	श्री दिलीप तिर्की	2011-12
			5	श्री देवेन्द्र प्रसाद	2011-12
15	देवघर	2012-13	1	श्री विरभद्र पाण्डेय	3/12 से 10/12
			2	श्री अनुप कुमार तिवारी	3/12 से 10/12
16	जमशेदपुर	2012-13	1	श्री कशिका एम प्रसाद	2011-12, 12-13
			2	श्री अजित कुमार सिंह	2011-12, 12-13
			3	श्री अनिल कुमार राय	2011-12, 12-13
			4	श्री आनन्दा सिंह	2011-12, 12-13
17	कोडरमा	2012-13	1	श्री विनोद कुमार वर्मा	4/11 से 1/12
			2	श्री रघुनन्दन सिंह यादव	4/11 से 1/12
			3	श्रीमती रेखा रानी	4/11 से 1/12
			4	श्री चन्द्र शेखर प्रसाद	4/11 से 1/12
			5	मो0 शाहिद अख्तर	4/11 से 1/12
18	मधुपुर	2012-13	1	श्री रामचन्द्र राम	2011-12
			2	डा0 गोपाल प्रसाद	2011-12
19	रामगढ़	2012-13	1	श्री मनमोहन प्रसाद	3/12 से 9/12
			2	सुश्री शुभा अखौरी	3/12 से 9/12
			3	श्रीमती रंजन राणा	6/12 से 8/12
			4	श्री वेलेरियन तिर्की	5/12 से 9/12
			5	श्री अरुण कुमार सिंह	3/12 से 9/12
			6	प्रमोद कुंमार सिन्हा	3/12 से 9/12
			7	श्री रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता	3/12 से 9/12
20	सरायकेला	2012-13	1	श्री आसिफ ईकराम	3/12 से 6/12
			2	श्री अजीत कुमार सिंह	3/12 से 8/12
			3	श्री अजय कु0 श्रीवास्तव	3/12 से 8/12
			4	श्री अशोक कुमार शाह	3/12 से 8/12
			5	श्री बैधनाथ राम	3/12 से 8/12

21	गिरिडीह	2012-13	1	श्री एच0 ए0 विनुकान्त	4/11 से 2/12
			2	श्री अनिल कुमार	4/11 से 2/12
			3	श्री राम प्रवेश पाण्डेय	4/11 से 2/12
			4	श्री सुरेश प्रसाद	4/11 से 2/12
			5	मो0 हैदर घानी	4/11 से 2/12
			6	डा0 रेखा कुमारी	4/11 से 2/12
			7	श्री प्रभाकर कुमार सिंह	4/11 से 2/12
22	राजमहल	2012-13	1	श्री संजय कुमार सिंह	3/12 से 5/12

## परिशि-ट -18

( कंडिका 3.5 यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/एल0टी0सी0 अग्रिम )  
राजपत्रित पदाधिकारियों के यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/एल0टी0सी0 अग्रिम की राशि का समायोजन नहीं किये जाने से संबंधित विवरण

क्रमांक	को-भागार का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	पदाधिकारियों का नाम	अग्रिम	राशि ( ₹ में )
1	खुँटी	2012-13	श्री विधान चन्द्र चौधरी, सब ओरडिनेन्ट जज	यात्रा भत्ता	40,000/-
2	डोरन्डा	2012-13	श्रीमती संपत मीणा श्रीमती आशा सिन्हा श्री ई0 हक	यात्रा भत्ता - वही - - वही -	6,000/- 40,000/- 25,000/-
3	दुमका	2012-13	श्री राम नरेश मिश्रा, प्रधान न्यायधीश	यात्रा भत्ता स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	15,000/- 20,000/-
			श्री महेश प्रसाद सिन्हा, प्रधान न्यायधीश	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	25,890/-
			श्री अरूण कुमार सिंह, सब जज	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	15,000/-
4	बोकारो	2012-13	श्री अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश	यात्रा भत्ता	65,000/-
			श्री कुमार दिनेश, सब डिविजनल ज्युडिसीयल मजिस्ट्रेट	यात्रा भत्ता	10,000/-
				एल0टी0सी0	25,000/-
5	गुमला	2012-13	श्री विशाल श्रीवास्तव	यात्रा/स्थानान्तरण भत्ता	10,432/-
			श्री अमित शेखर	- वही -	37,943/-
			श्री ओमप्रकाश पाण्डेय	- वही -	4,596/-
			श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय	- वही -	57,851/-
			श्री जगजीत सिंह	- वही -	12,442/-
6	जामताड़ा	2012-13	श्री रविशंकर, सहा0 अभि0	यात्रा भत्ता	4,500/-
7	प्रोजेक्ट भवन	2012-13	श्री प्रशांत सिंह, भा0पु0से0	यात्रा भत्ता	56,400/-
			श्री किशन सिंह मीणा, भा0पु0से0	यात्रा भत्ता	60,710/-
			श्री नरेश प्रसाद सिंह, भा0पु0से0	यात्रा भत्ता	62,390/-

8	राँची	2012-13	डाँ0 उमेश्वर शर्मा	यात्रा/स्थानान्तरण भत्ता	40,000/-
			श्री अनन्त विजय सिंह	- वही -	76,314/-
			श्री उत्तम आनन्द	- वही -	37,759/-
			श्री गणपति तिवारी	- वही -	65,204/-
9	धनबाद	2012-13	श्री दिवाकर पाण्डेय	यात्रा भत्ता	10,700/-
<b>कुल योग</b>					<b>8,24,131/-</b>

## परिशि-ट -19

( कंडिका 3.6 को-गागर नियंत्रण प्रक्रिया के पालन से संबंधित )

क्रम संख्या	को-गागर/उप-को-गागर का नाम	झा0को0संहि0 भाग-1 के नियम 552 के तहत महालेखाकार को व्ययगत जमा विवरणी भेजना	झा0को0संहि0 भाग-1 के नियम 47 के तहत जमा पंजी का आयुक्त द्वारा त्रैमासिक जाँचा जाना
1	बोकारो	X	X
2	चाईबासा	X	X
3	चक्रधरपुर	√	√
4	चतरा	X	X
5	देवघर	X	X
6	धनबाद	X	X
7	डोरन्डा	X	X
8	दुमका	X	X
9	गढ़वा	X	X
10	घाटशिला	X	X
11	गिरिडीह	X	X
12	गोड्डा	X	X
13	गुमला	X	X
14	हजारीबाग	X	√
15	जमशेदपुर	X	X
16	जामताड़ा	X	√
17	खुँटी	X	X
18	कोडरमा	X	X
19	लातेहार	X	X
20	लोहरदगा	X	X
21	मधुपूर	X	X
22	महेशपुर	√	√
23	पाकुड़	X	X
24	पलामू	X	X
25	प्रोजेक्ट भवन	X	X
26	राजमहल	√	X
27	रामगढ़	X	√
28	राँची	X	X
29	साहेबगंज	X	X
30	सरायकेला	X	X
31	सिमडेगा	X	X
32	तेनुघाट	√	√

X = अनुपालन नहीं किया गया | √ = अनुपालन किया गया

## परिशि-ट -20

( कंडिका 3.7 को-गागर/उप-को-गागर का सावधिक निरीक्षण )  
उच्चतर अधिकारी द्वारा को-गागर/उप-को-गागर का सावधिक निरीक्षण किया जाना

क्रमांक	को-गागर/उप-को-गागर का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	बोकारो	निरीक्षण नहीं किया गया है
2	चाईबासा	निरीक्षण नहीं किया गया है
3	चक्रधरपुर	निरीक्षण नहीं किया गया है
4	चतरा	निरीक्षण नहीं किया गया है
5	देवघर	निरीक्षण किया गया है
6	धनबाद	10.01.2013 को निरीक्षण किया गया
7	डोरन्डा	निरीक्षण नहीं किया गया है
8	दुमका	20.02.2013 को निरीक्षण किया गया
9	गढ़वा	निरीक्षण नहीं किया गया है
10	घाटशिला	निरीक्षण नहीं किया गया है
11	गिरिडीह	16.01.2013 को निरीक्षण किया गया
12	गोड्डा	29.01.2013 को निरीक्षण किया गया
13	गुमला	निरीक्षण नहीं किया गया है
14	हजारीबाग	निरीक्षण नहीं किया गया है
15	जमशेदपुर	निरीक्षण नहीं किया गया है
16	जामताड़ा	07.02.2013 को निरीक्षण किया गया
17	खुँटी	निरीक्षण नहीं किया गया है
18	कोडरमा	निरीक्षण नहीं किया गया है
19	लातेहार	निरीक्षण नहीं किया गया है
20	लोहरदगा	निरीक्षण नहीं किया गया है
21	मधुपुर	17.01.2013 को निरीक्षण किया गया
22	महेशपुर	निरीक्षण नहीं किया गया है
23	पाकुड़	निरीक्षण नहीं किया गया है
24	पलामू	निरीक्षण नहीं किया गया है
25	प्रोजेक्ट भवन, राँची	निरीक्षण नहीं किया गया है
26	राजमहल	निरीक्षण नहीं किया गया है
27	रामगढ़	05.07.2012 को निरीक्षण किया गया
28	राँची	निरीक्षण नहीं किया गया है
29	साहेबगंज	06.04.2012 को निरीक्षण किया गया
30	सरायकेला	निरीक्षण नहीं किया गया है
31	सिमडेगा	25.06.2012 को निरीक्षण किया गया
32	तेनुघाट	निरीक्षण नहीं किया गया है

## परिशि-ट -21

( कंडिका 3.8 को-गागारों की सुरक्षा )

बज्र गृह की सुरक्षा संबंधी खामियाँ

क्रमांक	को-गागार/उप-को-गागार का नाम	झा0को0संहि0 भाग-1 के नियम 121 के तहत बज्र गृह सुदृढता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए	झा0को0संहि0 भाग-1 के नियम 121(IV) के तहत पुलिस बल की तैनाती	अग्निशामक यंत्र कार्यशील स्थिति में स्थापित होना चाहिए
1	बोकारो	X	X	√
2	चाईबासा	√	X	√
3	चक्रधरपुर	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
4	चतरा	√	√	√
5	देवघर	X	X	√
6	धनबाद	X	X	√
7	डोरन्डा	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
8	दुमका	√	X	X
9	गढ़वा	√	√	√
10	घाटशिला	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
11	गिरिडीह	X	X	√
12	गोड्डा	√	X	X
13	गुमला	X	X	X
14	हजारीबाग	√	X	√
15	जमशेदपुर	X	X	X
16	जामताड़ा	√	√	√
17	खुँटी	X	X	√
18	कोडरमा	X	X	X
19	लातेहार	X	√	X
20	लोहरदगा	√	√	X
21	मधुपुर	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
22	महेशपुर	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
23	पाकुड़	√	X	X
24	पलामू	√	X	√
25	प्रोजेक्ट भवन	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
26	राजमहल	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
27	रामगढ़	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
28	राँची	X	X	√
29	साहेबगंज	X	X	√
30	सरायकेला	X	X	X
31	सिमडेगा	X	X	X
32	तेनुघाट	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है

X = अनुपालन नहीं किया गया    √ = अनुपालन किया गया



**परिशि-ट --22**

( कंडिका 3.9.1 मुद्रांक लेखों का संधारण )

**ज्यूडिशियल/ नन-ज्यूडिशियल मुद्रांकों का आवश्यकता से अधिक भंडारण**

क्रमांक	को-नागार/उप-को-नागार का नाम	विशे-1 एडहेशिव मुद्रांक ( ₹ में )	राजस्व मुद्रांक ( ₹ में )	शेयर ट्रांसफर मुद्रांक ( ₹ में )	इमप्रेसड कोर्ट फीस मुद्रांक ( ₹ में )	एडबोकेट वेलफेयर मुद्रांक ( ₹ में )
1	2	3	4	5	6	7
1	बोकारो	1741800	920000	9449400	--	111800
2	चाईबासा	2883618	--	--	--	--
3	चतरा	13350699	5630320	--	--	75000
4	देवघर	48411589	382498	--	--	--
5	धनबाद	15172560	4185884	859000	--	1800000
6	दुमका	9232182	2763290	--	--	--
7	गढ़वा	499840	1232630	--	--	892100
8	गिरिडीह	16696724	658000	--	--	380000
9	गोड्डा	915463	2147417	--	--	--
10	गुमला	2683506	672841	--	--	--
11	हजारीबाग	--	--	--	--	--
12	जमशेदपुर	--	--	--	--	--
13	जामताड़ा	1296708	974823	--	--	--
14	कोडरमा	--	--	--	--	--
15	लातेहार	4998880	1199040	--	--	85600
16	लोहरदगा	1562000	573634	--	--	572600
17	राँची	80914291	3901616	1905950	51611030	2010
18	साहेबगंज	6379220	879040	--	--	--
19	सरायकेला	--	--	--	--	--
20	सिमडेगा	16278000	--	--	--	--

**परिशि-ट --22**

(कंडिका 3.9.1 मुद्रांक लेखों का संधारण)

**ज्युडिशियल/नन-ज्युडिशियल मुद्रांकों का आवश्यकता से अधिक भंडारण**

क्रमांक	को-गागर/उप-को-गागर का नाम	ज्युडिसीयल मुद्रांक ( ₹ में )	कोर्ट फीस ( ₹ में )	नेशनल मुद्रांक ( ₹ में )	नन-ज्युडिशियल मुद्रांक ( ₹ में )	बीमा मुद्रांक ( ₹ में )
1	2	8	9	10	11	12
1	बोकारो	99312664	--	--	435772665	2211800
2	चाईबासा	49721290	--	--	274806952	--
3	चतरा	55712711	--	--	115079746	--
4	देवघर	88453967	--	--	302223129	--
5	धनबाद	62836296	--	--	716330085	1313080
6	दुमका	79827458	--	--	77951984	--
7	गढ़वा	32081495	--	--	59701659	--
8	गिरिडीह	77461665	--	--	320973316	--
9	गोड्डा	44166619	--	--	51498004	--
10	गुमला	29480537	--	--	55040223	--
11	हजारीबाग	24432409	--	--	223285920	--
12	जमशेदपुर	171575253	--	--	427938244	--
13	जामताड़ा	95238586	--	--	104325189	--
14	कोडरमा	2772395	--	--	73989917	--
15	लातेहार	8413620	16411160	--	261485704	--
16	लोहरदगा	18392958	--	--	82372616	--
17	राँची	--	16583828	--	805265749	33403931
18	साहेबगंज	--	1496275	--	134696983	--
19	सरायकेला	66614470	--	--	476315318	--
20	सिमडेगा	33313146	--	--	180758770	--

## परिशि-ट-23

( कंडिका 3.9.2 मुद्रांक लेखों का संधारण )

### अप्रचलित/क्षतिग्रस्त मुद्रांकों का बज्र गृह में अनावश्यक भण्डारण

क्रम संख्या	को-गागर/उप-को-गागर का नाम	विस्तृत विवरण	राशि ( ₹ में )
1	चतरा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	1,00,000= 00
2	लातेहार	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	1,150= 00
3	खुँटी	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	16,435= 00
4	देवघर	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	67,50,034= 00 30,34,008=00
5	पलामू	अप्रचलित मुद्रांक क्षतिग्रस्त मुद्रांक	32,45,151= 00 33,89,800= 00
6	दुमका	अप्रचलित मुद्रांक क्षतिग्रस्त मुद्रांक	1,14,95,172=75 67,50,034= 00
7	सिमडेगा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	2,000= 00 1,65,628= 00
8	पाकुड़	अप्रचलित मुद्रांक क्षतिग्रस्त मुद्रांक	11,12,420= 26 12,130= 00
9	हजारीबाग	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	63,640= 00 1,43,57,858= 45
10	लोहरदगा	अप्रचलित मुद्रांक	34,087= 10
11	गुमला	अप्रचलित मुद्रांक क्षतिग्रस्त मुद्रांक	4,15,848= 00 2,00,812= 00
12	गिरिडीह	अप्रचलित मुद्रांक क्षतिग्रस्त मुद्रांक	62,78,122= 50 20,00,000= 00
13	सरायकेला	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	1,22,470= 00 4,65,982= 00
14	चाईबासा	अप्रचलित मुद्रांक क्षतिग्रस्त मुद्रांक	59,94,215= 25 45,42,000= 00
15	गोड्डा	अप्रचलित मुद्रांक क्षतिग्रस्त मुद्रांक	92,000= 00 53,000= 00
16	गढ़वा	अप्रचलित मुद्रांक क्षतिग्रस्त मुद्रांक	1,01,420= 00 7,000= 00
17	जमशेदपुर	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	3,59,90,790=75
18	कोडरमा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	2,920= 00
19	साहेबगंज	अप्रचलित मुद्रांक	4,68,630= 50
20	धनबाद	अप्रचलित मुद्रांक	2,77,76,056= 53

**परिशि-ट -24**

(कंडिका 3.9.3 मुद्रांक लेखों का संधारण)

**जमीनदारी क्षतिपूर्ति बंधपत्र के निस्तारण से संबंधित विवरण**

क्रम संख्या	को-नागर का नाम	मुल्य राशि ( ₹ में )	संख्या	राशि ( ₹ में )
1	चतरा	50/-	76	3800/-
		100/-	38	3800/-
		200/-	66	13200/-
		500/-	37	18500/-
		1000/-	38	38000/-
		5000/-	01	5000/-
		10000/-	03	30000/-
2	लातेहार	50/-	17	850/-
		100/-	05	500/-
		200/-	05	1000/-
		500/-	01	500/-
3	दुमका	50/-	94	4700/-
		100/-	61	6100/-
		200/-	68	13600/-
		500/-	25	12500/-
		1000/-	42	42000/-
		5000/-	5	25000/-
		10000/-	24	240000/-
4	हजारीबाग	50/-	239	11,950/-
		100/-	152	15,200/-
		200/-	192	38,400/-
		500/-	63	31,500/-
		1000/-	117	1,17,000/-
		5000/-	10	50,000/-
		10000/-	16	1,60,000/-
5	गुमला	50/-	13	650/-
		100/-	08	800/-
		200/-	12	2,400/-
		500/-	01	500/-
6	गिरिडीह	50/-	185	9,250/-
		100/-	197	19,700/-
		200/-	150	30,000/-
		500/-	36	18,000/-

		1000/-	77	77,000/-
		5000/-	4	20,000/-
7	गोड्डा	50/-	91	4,550/-
		100/-	51	5,100/-
		200/-	43	8,600/-
		500/-	06	3,000/-
		1000/-	23	23,000/-
8	राँची	50/-	253	12,650/-
		100/-	172	17,200/-
		200/-	195	39,000/-
		500/-	54	27,000/-
		1000/-	46	46,000/-
		5000/-	12	60,000/-
		10000/-	23	2,30,000/-
9	गढ़वा	50/-	47	2,350/-
		100/-	37	3,700/-
		200/-	16	3,200/-
		500/-	02	1,000/-
10	जमशेदपुर	50/-	73	3,650/-
		100/-	57	5,700/-
		200/-	65	13,000/-
		500/-	19	9,500/-
		1000/-	33	33,000/-
		5000/-	01	5,000/-
11	कोडरमा	50/-	03	150/-
		100/-	10	1,000/-
		200/-	13	2,600/-
		1000/-	04	4,000/-

.....